रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2006/वैशाख 8, 1928
No. 79] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2006/VAISAKHA 8, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2006

प्रारम्भिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण. से 20-100 ग्रा./मीटर भार के सिल्क फैब्रिक्स के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/20/2004-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

I. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :—

(i) दिनांक 18 मई, 2005 को निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) से 20—100 ग्रा./मीटर भार के सिल्क फैब्रिक्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर और पावरलूम सिल्क फैब्रिक उत्पादकों की निम्नलिखित सहकारी समितियों/परिसंघों/एसोसिएशनों अर्थात् :—

(क) दि मैसूर पावर लूम सिल्क मैन्यूफैक्चरर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. बंगलौर, कर्नाटक

(ख) मै0 कर्नाटक वीवर्स फेडरेशन, बंगलौर कर्नाटक

(ग) मै0 बंगलौर डिस्ट्रिक्ट एण्ड बंगलौर रूरल डिस्ट्रिक्ट पावरलूम वीवर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, डोड्डा बाल्लापुर, कर्नाटक

(घ) मै0 सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजि.) वाराणसी, उ.प्र.

(ड.) मै0 प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन, सूरत, गुजरात

(आवेदक) से उक्त उत्पाद के घरेलू उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्राप्त होने के बाद पाटनरोधी कार्रवाई शुरू की गई थी । इस आवेदन में उक्त उत्पाद के पाटन उसके परिणामस्वरूप होने वाले क्षति का साक्ष्य था जिसे जांच शुरू करने हेतु न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त माना गया था ।

(ii) जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले दिए गए पूर्णतः प्रलेखित आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया था;

(iii) उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (2) के अनुसार प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक नोटिस की प्रति ज्ञात निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, संबंधित संबद्ध देश के दूतावास और आवेदकों को अग्रेषित की और उन्हें अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था ।

(iv) उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदन पत्र की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध करायी थी । उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसार प्राधिकारी ने संगत प्रश्नावली की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करायी थी । नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी जांच शुरू करने के बारे में सूचना दी गई थी और अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था ।

(V) प्राधिकारी ने प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी:

सिचुआन सिल्क इम्प/एक्सप कार्पो.
चेंगडू, सिचुआन

झिजियांग, जी.एफ. फॉरेन ट्रेड कं0 लि0
हांगकांग

झिजियांग बेलाई आई/ई कं. लि0
शेनझेन

शैनडांग सिल्क आई/ई कार्पो.
क्विंगडाओ

झिजियांग कथाया इन्टल कं0 लि0
हांगझोऊ

चेंगडू सिल्क आई/ई कार्गो
सिचुआन

गुआंगडांग सिल्क आई/ई कार्गो
गुआंगडांग

जियांक्सी सिल्क आई/ई कार्गो
नानचांग

चोंगकिंग सनफील शिझु
सिल्क वीविंग कं.लि.
चोंगकिंग

लहुझोयू सेनटांग सिल्क बीविंग कं0 लि0
शंघाई - 200120

फ्रैंक हांग
गुआंगशेंग एंड पार्टनर्स
बीजिंग - 10020

चाइना चैम्बर आफ कॉमर्स
फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ टेक्सटाईल्स
चाओयांग डिस्ट्रिक्ट

गुईझोयू फार्चुन ग्रीन प्रोडक्ट्स आई एंड ई कं0 लि0
गुईयांग गुईझोयू

चेंगडू किल्टर सिल्क कं0 लि0
चाओयांग डिस्ट्रिक्ट
चेंगडू इन्वेस्टमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं0 लि0
चेंगडू - 610041

(vi) आयातक प्रश्नावली के साथ-साथ जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति विभिन्न आयातकों और प्रयोक्ताओं को भी भेजी गई थी जो आवेदन पत्र में निम्नानुसार सूचीबद्ध थे:

आयातक

मै0 महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज
जिला-वाराणसी

मै0 स्वास्तिक इम्पेक्स
वाराणसी

मै0 हनुमान एग्जिम प्राइवेट लि0
वाराणसी - 221001

मै0 प्रीति सिल्क्स
वाराणसी

मै0 श्री ग्रोटेक्स ट्रेड लिंक्स (प्रा0) लि0
वाराणसी - 221001

मै0 श्री निकेतन
वाराणसी - 221001

मै0 रिजेन्ट एग्जिम इंटरनेशनल लि0
नोएडा (उ.प्र.)

मै0 शाकम्बरी कल्चर लैब,
भागलपुर - 812002

मै0 श्री सालासर बालाजी
इम्पेक्स प्रा0 लि0

मै0 केलपुर इंजीनियरिंग कं.लि.
मुम्बई - 400020

मै0 ग्रोवर सिल्क मिल्स प्रा0 लि0
मुम्बई - 400093

मै0 मोतीसन्स
मुम्बई - 400009

मै0 शाह सिल्क एंड फैब्रिक्स (प्रा0) लि0,
मुम्बई - 400021

मै0 श्री राजेन्द्रा टेक्सटाईल्स,
बंगलौर - 560002

मै0 बजाज ओवरसीज,
बंगलौर - 560002

मै0 शाह मंगीलाल शांतिलाल एंड कं0
बंगलौर - 560002

मै0 श्रीनिकेतन
बंगलौर-560002

मै0 अभिनंदन सिल्क क्रिएशन
बंगलौर - 560002

मै0 कृष्णा सिल्क एंड सारीज
बंगलौर - 560002

मै0 पुष्पा सिल्कस एफ - 7
बंगलौर - 560020

मै0 यूनिवर्सल टेक्सटाईल्स मिल्स
बंगलौर - 560095

मै0 मल्बेरी सिल्क लि0
बंगलौर

मै0 बजाज ओवरसीज # 34 ए,
कोलकाता - 700013

प्रयोक्ताः

मै0 जे.जे. एक्सपोर्टर्स लि0
कोलकाता - 700019

मै0 ए.पी.फैशन्स,
कोलकाता

मै0 मेहरा बंधु फैशन्स,
नई दिल्ली - 110017

मै0 एच.बी.एक्सपोर्ट्स, एफ - 3
एन डी एस ई - II

मै0 बेन्चर्स # 17, भवानीदत्त लेन,
कोलकाता - 700073

मै0 अवल एक्सपोर्ट्स, # 2/85,
नई दिल्ली - 110026

मै0 सिल्क क्रिएशंन्स प्रा0 लि0
वाराणसी - 221001

मै0 जैन इंटरनेशनल, # 523,
नई दिल्ली - 110092

मै0 प्रमोद इंटरनेशनल, # 15,
कोलकाता - 700016

मै0 विकास एक्सपोर्ट्स, 2 - B , जमरूदपुर
नई दिल्ली - 110048

मै0 पिंक्स इंटरनेशनल प्रा0 लि0
कोलकाता - 700053

मै0 एस एम आई एक्सपोर्ट्स प्रा0 लि0
नई दिल्ली - 110065

मै0 फैशन हाऊस इनफार्मेशन,
नई दिल्ली-110044

मै0 सुन्दर क्राफ्ट,
नई दिल्ली-110048

मै0 एअरलूप्स,
नई दिल्ली - 110021

मै0 सुपर नीडल कलैक्शन्स (प्रा0) लि0
नई दिल्ली - 110048

मै0 कनिका एक्सपोर्ट्स नई दिल्ली - 110048	मै0 आशा सिल्क एक्सपोर्ट्स, बंगलौर - 560053
मै0 चेतन एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली - 110005	मै0 शालीमार एक्सपोर्ट्स, मुम्बई - 400050
मै0 अमेट एंड लाडो, कोलकाता - 700020	

(vii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी द्वारा रखी गई एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध बनाए रखा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए फाईल को खुला रखा ।

(viii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था ।

(ix) इस अधिसूचना में **** हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत विचार की गई सूचना को प्रदर्शित करना है ।

(x) पाटन और क्षति की जांच में 1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 (18 महीने) तक की अवधि शामिल थी । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 1 अप्रैल, 2000 से जांच अवधि की समाप्ति तक की अवधि (जिसे क्षति अवधि भी कहा जाता है) शामिल थी ।

(xi) प्राधिकारी ने पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा आवश्यक समझी गयी सभी सूचनाओं की मांग की और उनका सत्यापन किया था । प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग की मौके पर जांच की ।

(xii) जांच शुरूआत संबंधी नोटिस की प्रतियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सी आई आई, एसोचैम आदि को भी भेजी गई थी ।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद 20 - 100 ग्रा./मीटर भार का सिल्क फेब्रिक (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है । सिल्क फेब्रिक का उत्पादन मूल कच्ची सामग्री अर्थात् कच्चे रेशम से किया जाता है । सिल्क फेब्रिक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 5007 के अंतर्गत वर्गीकृत है और यह सामान्यतः उपशीर्ष 5007 9000 में स्वीकृत की जाती है । आवेदकों का यह दावा है कि संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 5007 1000, 5007 20, 5007 2010 और 5007 2090 के अंतर्गत भी स्वीकृत की जा सकती है । ये वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

20 - 100 ग्राम भारत वाली सिल्क फैब्रिक्स की विभिन्न किस्मों को सामान्य तौर पर साड़ियों, मुख्य रूप से स्त्रियों के स्कार्फ, दुपट्टों, शाल, दुपट्टों, ड्रेस सामग्री, पुरूषों के कपड़ों, टाई आदि के लिए प्रयोग किया जाता है । भारी किस्मों का प्रयोग मुख्यतः फर्निशिंग्स, बेड कवर्स, राजईयों आदि के रूप में किया जाता है ।

समान वस्तु

3. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं । उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद और कथित रूप से पाटित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा और निर्यातकों द्वारा अपनायी गयी उत्पादन प्रक्रिया में भी कोई विशेष अंतर नहीं है । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । इस जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में ऐसी विशेषताएं हैं जो संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान हैं । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक और संबद्ध देश से आयात की जा रही सिल्क फैब्रिक नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं ।

घरेलू उद्योग

4. यह याचिका निम्नलिखित पावरलूम सिल्क फेब्रिक उत्पादक सहकारी समितियों/परिसंघ/एसोसिएशनों के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर द्वारा दायर की गयी है:-

(i) दि मैसूर पावर लूम्स सिल्क मेन्यूफैक्चरर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., बंगलौर, कर्नाटक

(ii) मै0 कर्नाटक वीवर्स फेडरेशन, बंगलौर कर्नाटक

(iii) मै0 बंगलौर डिस्ट्रिक्ट एण्ड बंगलौर रूरल डिस्ट्रिक्ट पावरलूम वीवर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., डोड्डा बाल्लापुर, कर्नाटक

(iv) मै0 सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजि.) वाराणसी, उ.प्र.

(v) मै0 प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन, सूरत, गुजरात

पावरलूम की उपर्युक्त सहकारी समितियो/परिसंघ/एसोसिएशनों जिन्होंने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है, का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है । पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक के उत्पादकों की उपर्युक्त सहकारी समिति/परिसंघ/एसोसिएशनों द्वारा भारत में पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक के एक बड़े भाग का उत्पादन किया जाता है । प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि उक्त आवेदक नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी अर्हता को पूरा करते हैं और संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

ख. प्राप्त हुए उत्तर:

निम्नलिखित निर्यातकों से उत्तर प्राप्त हुए हैं :

5. प्रतिदर्शित निर्यातक

(i) झिजियांग कैथाया इन्टल कं0 लि. - उत्पादकों के साथ

(ii) नानजिंग टेक्सटाईल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पो लि0 - उत्पादकों के साथ

(iii) झिजियांग जी एंड एफ फोरेन ट्रेडिंग कं0 लि0 - उत्पादकों के साथ

(iv) सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं0 लि0 - उत्पादकों के साथ

(v) चोगक्विंग सनफ़ील शिझू सिल्क वीवींग कं0 लि0

6. गैर प्रतिदर्शित निर्यातक - अलग-अलग व्यवहार के लिए:

(i) चोंगक्विंग विन्टस न्यू स्टार ट्रेड डेवलपमेंट लि0 (चोंगक्विंग विन्टस) - उत्पादकों के साथ

(ii) नानचोंग सक्सेस टेक्सटाईल कं0 लि0 (नानचोंग सक्सेस) -

(iii) जियांग्सु होंगबाओ ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं0 लि0 -

(iv) चेंगडू इन्वेस्टमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं0 लि0 (चेंगडू इन्वेस्टमेंट)

(v) चेंगडू किल्टर सिल्क ट्रेड कार्पोरेशन (चेंगडू किल्टर)

(vi) गुआंगोंग सिलिक्यू इंटरनेशनल ग्रुप विन्टेक्स कार्पो. लि0

(vii) गुआंगोंग सिलिक्यू इंटरनेशनल ग्रुप गोल्ड सिल्क कं0 लि0

(viii) शंघाई सिल्क ग्रुप कं0 लि0

(ix) झिजियांग मिहोंग सिल्क वीवींग कं0 लि0

(x) हुझोयू सेन्टोंग सिल्क वीबींग कं0 लि0

(xi) जियांग्सु सोहो इंटरनेशनल ग्रुप कार्पो.

(xii) ग्बिजझोयू ग्रीन प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं0 लि0

7. आयातकों के उत्तर

निम्नलिखित निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं -

(i) मै0 केलपर इंजीनियरिंग कं0 लि0, मुम्बई

(ii) मै0 टेकचन्द इंटरनेशनल, दिल्ली

(iii) मै0 यूनिवर्सल टेक्सटाईल मिल्स, बंगलौर

8. अन्य उत्तरः

(i) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आई एल ई पी सी) मुम्बई द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं -

(क) सिल्क फैब्रिक पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क से न केवल निर्यातों पर बल्कि स्थानीय उत्पादन पर भी निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) मलबेरी कच्ची रेशम पर पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) स्थानीय उद्योग रेशम के गुणवत्तायुक्त परिधानों के उत्पादन के लिए गुणवत्तायुक्त फैब्रिक्स का उत्पादन नहीं कर रहा है ।

(घ) इस प्रस्ताव से सिले-सिलाये परिधानों के निर्यातकों को नुकसान पहुँचेगा ।

(ii) दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाईल (रजि.) दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं -

कृमिकोष पालन को हमारे देश के कुछेक क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के रूप में लिया जाता है जो समाज के कमजोर तबके के हजारों भारतीय परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य अथवा अतिरिक्त स्रोत है ।

रेशम बुनाई इकाइयां लघु पैमाने पर भी चलाई जाती हैं जो मुख्यतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे केन्द्रों में स्थित हैं ।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि व्यापार उदारीकरण के पश्चात भारत के परम्परागत घरेलू उद्योग पर मुख्य रूप से सस्ती चीनी सिल्क फैब्रिक द्वारा एक योजनाबद्ध हमला हुआ है । इससे भारतीय सिल्क फैब्रिक की मांग में अत्यधिक कमी आयी है और हमारी घरेलू रेशम विनिर्माण इकाइयों को चीन से इतने बड़े पैमाने पर होने वाले अनैतिक आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है । इससे हमारे रेशम उद्योग के बचे रहने पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न लग गया है और इस उद्योग से संबद्ध लाखों कामगार बेरोजगार होने के खतरे का सामना कर रहे हैं । चीनी सिल्क फैब्रिक्स के आयात पर तुरन्त पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाना चाहिए ।

(iii) सिल्क एवं टेक्सटाइल मर्कन्टाईल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि.) दिल्ली द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं -

भारत में छोटे और गरीब शोषित बुनकर एकमात्र रूप से रेशम बुनाई पर आश्रित होते हैं । यार्न की लागत से भी कम कीमतों पर चीन से सिल्क फैब्रिक के बड़े पैमाने पर आयातों को भारत में पाटित किया जा रहा है ।

चीनी सिल्क फैब्रिक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि भारत के वंचित छोटे और गरीब बुनकरों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा की जा सके ।

9. चाईना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फार एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल (सी सी सी टी) और निर्यातकों के तर्क

घरेलू उद्योग का अत्यधिक त्रुटिपूर्ण आवेदन और सूचना की अपर्याप्तता - कुछ निर्यातकों और सी सी सी टी ने तर्क दिए हैं कि जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया आवेदन निम्नलिखित के संबंध में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है:-

याचिका में घरेलू उत्पादकों की पहचान नहीं दी गई - याचिकाकर्त्ता एसोसिएशनों/सहकारी समितियों द्वारा दायर की गयी है । इन एसोसिएशनों/सहकारी समितियों के उन संघटक सदस्यों के नाम नहीं दिए गए हैं जो संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं ।

समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के याचिकाकर्त्ता के हिस्से की मात्रा और मूल्य नहीं दिए गए है नियम 5(3) के अनुसार कुल उत्पादन में याचिकाकर्त्ता के हिस्से का निर्धारण वास्तविक उत्पादन के आधार पर होगा न कि कुछ सैद्धांतिक पूर्वधारणाओं पर । याचिका में उत्पादन कुछ सैद्धांतिक पूर्णधारणाओं पर आधारित है ।

पाटन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है - याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दावा किया गया निर्मित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के अनुभव और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के अनुसार आई एस ए सूचना पत्र, परिवर्तन लागत और एस जी ए के अनुसार कच्ची सामग्री की कीमत पर आधारित है । यह स्पष्ट नहीं

है कि आई एस ए में कीमतों, चाहे नकद कीमत अथवा संविदा कीमत का आधार क्या है । घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और एस जी ए का खुलासा नहीं किया गया है । नियम 5 (3) के अनुसार प्राधिकारी को आंकड़ों की विशुद्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी ।

याचिका में क्षति संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है - याचिका के अनुसार संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग, उत्पादन मात्रा और बिक्री मात्रा के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है । याचिका में वर्ष 2002-03 में 40 प्रतिशत लूमों के बंद होने और 20 प्रतिशत लूमों का विस्कस और अन्य फैब्रिकों में लग जाने का दावा किया गया है । याचिका में अन्य सूचकों जैसे प्रारंभिक और अंतिम स्टाक, बिक्रियों की लागत, लाभ/हानि, निवेश, निवल मूल्य, विस्तार हेतु पूंजी निवेश, रोजगार आदि के संबंध में सूचना नहीं है ।

कारणात्मक संबंध के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है - आवेदन पत्र में कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना नहीं दी गई है । आवेदन पत्र में एक सामान्य प्रसंग है कि चीन से आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों में किसी वृद्धि का अपने आप में यह मतलब होगा कि वे पाटित आयात हैं और भारतीय घरेलू उद्योग को हो रही किसी भी कठिनाई के लिए चीन से होने वाले आयातों में बढ़ोतरी जिम्मेदार है ।

याचिका में लागत संबंधी कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं - प्राधिकारी ने एक अपूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर जांच शुरू की है ।

आयातित उत्पाद संबंधी सूचना - आवेदन पत्र में संबद्ध वस्तु की श्रेणी और प्रयोग नहीं दिए गए हैं ।

भारतीय उद्योग की रूपरेखा - इसमें लगे हुए पावरलूम बुनकरों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है । लूम की क्षमता क्या है और उनको कैसे आकार में छोटा माना गया है, याचिका में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है । क्या देश में रेशम बुनकरों की कोई अन्य एसोसिएशनें नहीं हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में रेशम पावरलूम की क्या स्थिति है ? याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है - यह दावा किया गया है कि याचिका की एन सी वी में कई सूचनाओं का ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

सीसीसीटी ने घरेलू उद्योग को खास तौर से निम्नलिखित के संबंध में हुई कथित क्षति के कारणात्मक संबंध के बारे में भी टिप्पणियाँ दी हैं :-

(i) भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन में परिवर्तन तथा उसके कारण ।

(ii) भारत से मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात मूल्य ।

(iii) विस्कस तथा पॉलीस्टर ने रेशम के कुछ बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है और जैसा कि याचिका में कहा गया है 20% करघों ने रेशम के स्थान पर विस्कस की बुनाई शुरू कर दी है ।

(iv) सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्धित आयात वर्ष 2002 के बाद दिखाया गया है, जबसे खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत इस वस्तु के मुक्त आयात की अनुमति दी गई । इससे पहले रेशमी कपड़े का बाजार सीमित था ।

सीसीसीटी ने कहा है कि वर्तमान जांच शुरू करना ही गलत है, क्योंकि याचिका में पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए सही तथा पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है । सीसीसीटी के अनुसार चीनी निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं किया गया है और घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हुई है, कथित पाटन के कारण नहीं हुई है । उन्होने नियम 14(ख), (ग) तथा (ड.) के प्रावधान के अनुसार जांच समाप्त करने की मांग की है ।

10. निर्यातकों/सीसीसीटी की ओर से प्रारंभिक तर्कों की जांचः

(क) जहां तक निर्यातकों की ओर से दिए गए इस तर्क का संबंध है कि जांच शुरू करने के लिए दिए गए आवेदन में प्रदत्त जानकारी अपर्याप्त है, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदन सहकारी समितियों/देश के रेशम बिजली करघा बुनकर फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है । इस उद्योग को स्वरूप ऐसा है कि उनका रिकार्ड का रख-रखाव इस प्रकार का नहीं है कि वे प्रत्येक क्षति मानदण्ड के बारे में सही सूचना उपलब्ध करा सकें । उद्योग विभाजित है और बिजली करघा बुनकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन पारम्परिक शैली में करते हैं । संसाधनों की कमी, उद्यमियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा शैक्षणिक स्तर के कारण आंकड़ों की उपलब्धता सुगम नहीं है । उत्पादकों के आवेदन का समन्वय केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) द्वारा किया गया, जो देश में रेशम उद्योग के विकास एवं वृद्धि से संबंधित हैं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है । रेशम उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्र करना सीएसबी के कार्यों में से एक है । अधिकारिक स्रोत होने के कारण सीएसबी द्वारा संकलित आंकड़े विश्वसनीय माने गए हैं । यह आवेदन उन एसोसिएशनों/सहकारी समितियों द्वारा दायर किया गया है, जहां रेशम विद्युत करघे वास्तविक रूप से कार्यरत हैं । अतः आवेदन संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा दायर समझा गया है । आवेदन में आंध्र प्रदेश के विद्युत करघों (लगभग 600 करघे) का ब्यौरा दिया गया है । तथापि ये विद्युत करघे जांच में आवेदनकर्ता नहीं थे । आवेदक एसोसिएशनों/सहकारी समितियों/फेडरेशनों के विद्युत करघा बुनकर सदस्यों की संख्या हजारों में है । आवेदन में प्रत्येक उत्पादक का नाम देना अव्यावहारिक होगा ओर नियमावली की अपेक्षाओं में, उद्योग विभाजित होने और उत्पादकों की संख्या अनपेक्षित रूप से अधिक होने पर उनके नाम देना अपेक्षा भी नहीं की गई है । अतः ऐसी स्थिति में आवेदक एसोसिएशनों आदि को घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधि माना

गया है और उनका मिलाजुला उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादन प्रदर्शित करता है । अतः जांच की शुरूआत नियम 5(3) के अनुसरण में है । वस्तुतः पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2(i) में घरेलू उत्पादक एसोसिएशनों को पाटनरोधी जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति है ।

(ख) आवेदन में उल्लिखित घरेलू उद्योग के उत्पादन का अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित उत्पादन स्तर से संबंधित सूचना पर आधारित है । कुटीर उद्योग क्षेत्र में कार्यरत विद्युत करघा बुनकरों के स्वरूप को देखते हुए उत्पादन से संबंधित आंकड़े सही नहीं हो सकते । ऐसे मामले में वे अनुमान पर भी आधारित होते हैं ।

(ग) आवेदन में पाटन के संबंध में याचिकाकर्ताओं का दावा संरचित सामान्य मूल्य पर आधारित था । यह अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका आईएसए न्यूजलेटर के अनुसार कच्चे माल के मूल्य के उचित अनुमान पर आधारित था । परिवर्तन लागत और एसजीए घरेलू उद्योग के अनुभव और लाभ की उचित गुंजाइश के जोड़ पर आधारित थे । प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदन में सामान्य मूल्य के अनुमान के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है । दिए गए अनुमानों के आधार पर आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता एवं पर्याप्तता नियम 5(3) (ख) के अनुसार सन्तोषजनक थी ।

(घ) आवेदन में करघों के बन्द होने, क्षमता उपयोग, आयातों में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, बिक्री में गिरावट, बिक्री से प्राप्त आय में गिरावट, ठेके से हुए नुकसान, उद्योग को हुए नुकसान जैसे मानदण्डों से संबंधित जानकारी दी गई है । 30,000 करघों के बन्द हो जाने से रोजगार को हुआ नुकसान स्पष्ट दिखाई देता है । आवेदन करते समय आवेदक को समुचित रूप से उपलब्ध जानकारी/आंकड़ों के आधार पर और नियम 5(3) (ख) के अनुसार आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता एवं पर्याप्तता सुनिश्चित करने के बाद प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआत करना उपयुक्त समझा गया ।

(ड.) आवेदन में चीन से वृद्धित पाटित आयातों के कारण प्रथम दृष्टया हुई क्षति दर्शाने वाले कारणात्मक संबंध की जानकारी दी गई थी । चीन से कम कीमत पर रेशमी कपड़े के बढ़े हुए आयात का असर घरेलू उद्योग महसूस कर रहा था । आवेदन में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारणात्मक संबंध प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त पाया गया क्योंकि चीन से अनपेक्षित रूप से कम कीमत पर सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण करघों के बन्द होने, उत्पादन के नुकसान, रोजगार के नुकसान का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था ।

(च) जहां तक आवेदन प्रपत्र के भाग VI में घरेलू उद्योग द्वारा लागत संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने का प्रश्न है, प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया कि घरेलू उद्योग में हजारों उत्पादक हैं और सही आंकड़े प्राप्त कर पाना अव्यावहारिक है । तथापि आवेदन में सीएसबी द्वारा उत्पादन लागत का समुचित अनुमान प्रस्तुत किया गया था । विद्युत करघा बुनकरों के विभाजित एवं असंगठित उद्योग के मद्देनजर उत्पादन लागत का समुचित अनुमान लगाया गया था, जिसे पर्याप्त समझा गया ।

(छ) याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक गोपनीयता बरते जाने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा तत्पश्चात निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक फाइल हेतु प्रस्तुत की गई :-

(i) याचिका में दिए गए महत्वपूर्ण आंकड़ों का सारांश ।
(ii) प्रयोक्ता एसोसिएशन के नाम तथा पते ।
(iii) आईएसए न्यूजलेटर ।

ग निर्यातकों/उत्पादकों के नमूने

11.1 जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में चाइना चेम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स (सीसीसीटी) ने सूचित किया कि बड़ी संख्या में चीन के निर्यातक/उत्पादक इस जांच में सहयोग करेंगे और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के अनुसार प्राधिकारी के लिए नमूने का उपयोग करना अपेक्षित होगा ।

11.2 प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लेने के लिए कि क्या नमूने लेना जरूरी होगा; यदि हां, तो नमूने के चयन के लिए निर्यातकों/उत्पादकों, सीसीसीटी से नाम बताने और नमूना प्रश्नावली में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । प्राधिकारी द्वारा चीन के वाणिज्य मंत्रालय के तहत बीओएफटी को भी नमूने की चयन प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया ।

11.3 चीन जन.गण. के तीस निर्यातकों ने नमूना प्रश्नावली का उत्तर देते हुए अपेक्षित आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराई ।

11.4 निर्यातकों के नमूने का चयन सीसीसीटी के परामर्श एवं सहमति से किया गया जो रेशमी कपड़े के चीनी निर्यातकों और चीन जन.गण. के प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते थे । प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों के नमूने का चयन किया गया और जांच को निर्यातकों/उत्पादकों की उचित संख्या तक सीमित किया गया, ताकि करार के अनुच्छेद 6.10 के अनुसार निर्यात मात्रा का सर्वाधिक प्रतिशत, जिसकी उचित तरीके से जांच की जा सकती है, कवर किया जा सके । तदनुसार प्राधिकारी द्वारा नमूने में सात निर्यातकों का उनके निर्यात के घटते क्रम में चयन किया गया । इनमें चार शीर्षस्थ निर्यातक, जो स्वयं सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादक नहीं थे, और तीन शीर्षस्थ उत्पादक निर्यातक शामिल थे । नमूने में शामिल इन सात निर्यातकों/उत्पादकों का निर्यात में योगदान, चीन से 117 मिलियन मीटर (इस निर्यात आंकड़े की पुष्टि सीसीसीआई द्वारा की गई) रेशमी कपड़े के कुल निर्यात में, 54.13% है । नमूने में निम्नलिखित निर्यातकों का चयन किया गया :-

(i) जिजियांग केथाया इन्टेल कं. लि.
(ii) नानजिंग टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड
(iii) जिजियांग जी एण्ड एफ फॉरेन ट्रेडिंग कं. लि.
(iv) सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ग्रुप कं. लि.
(v) चोंगक्विंग सनफील शिजू सिल्क वीविंग कं. लि.
(vi) सिचुआन रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ सिल्क इण्डस्ट्री
(vii) सिचुआन न्यू सेंचुरी इण्डस्ट्रीज कं. लि.

11.5 नमूने में शामिल निर्यातकों को सलाह दी गई कि वे निर्यातक प्रश्नावली तथा एमईटी प्रश्नावली के प्रश्नों के पूरे उत्तर उन्हें भेजे गए पत्र जो सीसीसीटी तथा चीनी प्राधिकारी को भी भेजा गया, की तारीख से सैंतीस दिन के भीतर प्रस्तुत करें ।

11.6 निर्यातकों के चयन के बारे में सीसीसीटी एवं संबंधित निर्यातकों को सूचित करने के बाद सिचुआन रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ सिल्क इण्डस्ट्री एवं सिचुआन न्यू सेंचूरी इण्डस्ट्रीज कं.लि. ने जांच में सहयोग के संबंध में अपनी असमर्थता सूचित की । सीसीसीटी द्वारा उक्त दोनों निर्यातकों के स्थान पर अन्य निर्यातकों को शामिल करने का अनुरोध किया गया । इस अनुरोध से प्राधिकारी सहमत नहीं हुए क्योंकि सीसीसीटी द्वारा सुझाए गए निर्यातक उनके घटते क्रम में अगले स्थान पर नहीं आते थे । इसके अलावा प्राधिकारी द्वारा नमूने की चयन प्रक्रिया के बारे में सीसीसीटी तथा निर्यातकों को पर्याप्त अवसर दिए गए थे । नमूने में शामिल निर्यातकों ने प्राधिकारी को सहयोग करने की पूरी वचनबद्धता दर्शाई थी, तथापि चयन के उपरांत उनमें से दो पीछे हट गए थे । अतएव शेष पांच निर्यातकों को नमूने में रखा गया और चीन से संबद्ध उत्पाद के कुल निर्यात में उनका निर्यात (प्राप्त उत्तरों के आधार पर) योगदान 50.63% था ।

घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन निर्धारण

12. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

12.1 चीन हेतु सामान्य मूल्य निर्धारण

भारत द्वारा की गई अनेक जांचों एवं डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है; अतः निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसरण में किया जाना है । घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि चीन जन.गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाए ।

12.2 भारत में कानूनी प्रावधान

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 एवं 8 में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है ।

12.3 सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश (सदस्य देश) का चयन

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से निर्यातों के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश (सदृश्य देश) के चयन की सम्भावना की जांच की गई । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर प्राधिकारी ने पाया कि विश्व में रेशमी कपड़े के कुल उत्पादन में भारत तथा चीन का योगदान 90% से अधिक है, इसमें चीन का हिस्सा लगभग 78% और भारत का हिस्सा लगभग 14% है । दोनों देशों में रेशमी कपड़े का उत्पादन बहुत अधिक होने तथा अन्य विशेषताओं के कारण कोई अन्य देश ऐसा नहीं है, जिसे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 के अनुसार समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जा सके । विभिन्न देशों में रेशमी कपड़े के उत्पादन के ब्यौरे के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट को संबंधित निर्यातकों एवं सीसीसीटी को सूचनार्थ भिजवाया गया । समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के अभाव में प्राधिकारी द्वारा पैरा 7 के दूसरे भाग की शर्तों के अनुसार अर्थात अन्य किसी युक्तियुक्त आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा

सकता है, इसमें यदि निर्यातक/उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु पात्र न हो तो पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 8 के अनुसरण में समान उत्पाद हेतु वास्तविक रूप से भुगतान किए गए मूल्य अथवा भारत में भुगतान योग्य मूल्य को शामिल किया जा सकता है । प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सीसीसीटी तथा संबंधित निर्यातकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई और इसके लिए उन्हें पत्र जारी करने की तारीख से सैंतीस दिन का समय दिया गया ।

12.4 गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश की परिकल्पना का खण्डन

आगे जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने दावा किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि रेशम उत्पादन तथा व्यापार राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है, इस जांच में चीनी उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता । उनके अनुसार चूंकि राज्य के हस्तक्षेप का तथ्य स्वीकृत है, अतः किसी निर्यातक/उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता । घरेलू उद्योग ने अपने तर्क के समर्थन में प्रोटोकॉल ऑन एक्सेशन ऑफ पीआरसी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें चीन जन.गण. ने रेशम कोया कीमतों में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार किया है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रोटोकॅल ऑन एक्सेशन ऑफ पीआरसी के पैराग्राफ सं.9 में कीमत नियंत्रण का उल्लेख है, जिसके अनुबंध 4 में एक सूची दी गई है । उक्त अनुबंध 4 के तहत सूचीबद्ध उत्पादों में रेशम कीट कोया क्रम सं. 5 में आता है, जो सरकारी मूल्य दिशा-निर्देशों के अध्यधीन है । घरेलू उद्योग के अनुसार कोये की लागत कच्चे रेशम की कीमत की लगभग 80% होती है । इसी प्रकार रेशमी धागे की कीमत रेशमी कपड़े की कीमत की लगभग 65% से 70% होती है । अतः कोया मूल्य रेशमी कपड़े की कीमत का लगभग 50-55% होता है ।

12.5 चीन जन.गण. के वाणिज्य मंत्रालय और सीसीसीटी ने घरेलू उद्योग के उक्त दावे का उत्तर देते हुए कहा है कि कोया मूल्य राज्य द्वारा नियंत्रित होने के आधार पर चीनी रेशमी कपड़ा उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रदान नहीं किया जा सकता । अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि :-

(क) चीन में रेशमी कपड़ा उत्पादकों की प्रमुख निविष्टि कच्ची रेशम है, न कि कोया; और कच्चे रेशम की कीमत वर्ष 2001 से सरकारी दिशा-निर्देश के तहत नहीं है ।

(ख) प्रोटोकॉल के अनुबंध IV के अनुसार सरकारी दिशा-निर्देश ताजा कोये पर लागू होते है; न कि सूखे कोये पर ।

(ग) रेशमी कपड़े के विनिर्माण के लिए ताजे कोये कच्चा माल नहीं हैं । चीन के घरेलू बाजार में सूखे कोये तथा इसके अगले उत्पाद अर्थात कच्चे रेशम की कीमत सरकारी मूल्य दिशा-निर्देशों के अध्यधीन नहीं हैं ।

12.6 प्राधिकारी ने उपर्युक्त तर्कों की जांच की है । यद्यपि रेशमी कपड़े के उत्पादन के लिए कच्चा माल कच्ची रेशम है, तथापि कोया व्यापार पर राज्य के नियंत्रण से कच्ची रेशम के मूल्य पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोये की लागत रेशमी धागे की कीमत की लगभग 80% और रेशमी धागे की कीमत रेशमी कपड़े की कीमत की लगभग 65-70% होती है । अतः कोये का मूल्य रेशमी कपड़े की कीमत का लगभग 50 से 55% होता है, जो उल्लेखनीय है । ताजे कोये अथवा सूखे कोये पर राज्य के

नियंत्रण का मुद्दा यहां प्रासंगिक नहीं है । यह इस तथ्य के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने यह साक्ष्य नहीं दर्शाया है कि ताजे कोये और सूखे कोये की कीमत में कोई संबंध नहीं है अथवा सूखे कोये की कीमत ताजे कोये की कीमत से प्रभावित नहीं होती । अतः प्राधिकारी का यह अभिमत है कि प्रारंभिक निर्धारण के लिए नमूने में शामिल निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमुख कच्चे माल अर्थात कच्चे रेशम की लागत कोये के सरकारी कीमत दिशा-निर्देशों से प्रभावित होती है, जो कच्चे रेशम की लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा -7 के अनुसार समान उत्पाद के लिए अदा की गई वास्तविक कीमत अथवा भारत में भुगतान योग्य कीमत अथवा अन्य किसी उचित आधार पर किया जा सकता है ।

12.7 वास्तविक रूप से अदा की गई अथवा भारत में भुगतान योग्य कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान भारत में रेशमी धागे की प्रचलित कीमत के आधार पर प्रमुख कच्चे माल अर्थात कच्चे रेशम की कीमत पर विचार किया गया, जिसे सिल्क यार्न एक्सचेंज से प्राप्त किया गया । उचित समायोजन के बाद घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर परिवर्तन प्रभार, वित्तीय लागत, कारखाना ऊपरी व्यय, बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों पर भी विचार किया गया । सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए इसमें ***% लाभ की समुचित गुंजाइश को भी जोड़ा गया ।

13. सहयोग

चुनिन्दा निर्यातकों में से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से निर्यातक प्रश्नावली तथा एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:-

(i) जिजियांग केथाया इन्टेल कं. लि.
(ii) नानजिंग टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड
(iii) जिजियांग जी एण्ड एफ फॉरेन ट्रेडिंग कं. लि.
(iv) सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ग्रुप कं. लि.
(v) चोंगक्विंग सनफील शिजू सिल्क वीविंग कं. लि.

14. जिजियांग केथाया इंटेल कं0 लि0 ने पांच समर्थक उत्पादकों के साथ निर्यातक प्रश्नावली और एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए । प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था । संबद्ध वस्तुओं के 45 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया । जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है, प्राधिकारी का यह अभिमत है कि प्रारंभिक निर्धारण के लिए नमूने में शामिल निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमुख कच्चे माल अर्थात कच्चे रेशम की लागत कोये के सरकारी कीमत दिशा-निर्देशों से प्रभावित होती है, जो कच्चे रेशम की लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा -7 के अनुसार समान उत्पाद के लिए अदा की गई वास्तविक कीमत अथवा भारत में भुगतान योग्य कीमत अथवा अन्य किसी उचित आधार पर किया जा सकता है ।

वास्तविक रूप से अदा की गई अथवा भारत में भुगतान योग्य कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान भारत में रेशमी धागे की प्रचलित कीमत के आधार पर प्रमूख कच्चे माल अर्थात कच्चे रेशम की कीमत पर विचार किया गया, जिसे सिल्क यार्न एक्सचेंज से प्राप्त किया

गया । उचित समायोजन के बाद घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर परिवर्तन प्रभार, वित्तीय लागत, कारखाना ऊपरी व्यय, बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों पर भी विचार किया गया । सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए इसमें ***% लाभ की समुचित गुंजाइश को भी जोड़ा गया । यह देखा गया है कि लागत के निर्धारण की दृष्टि से, विभिन्न प्रकार के रेशमी कपड़ों के उत्पादन में समय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है । प्राधिकारी द्वारा विभिन्न ग्राम मेजों तथा विभिन्न किस्मों से उत्पादित रेशमी कपड़े की लागत के निर्धारण के लिए लागत के सभी तत्वों की प्रति घंटा लागत की गणना की गयी । रेशमी कपड़े की विभिन्न ग्राम मेजों तथा किस्मों के उत्पादन में लगने वाले समय पर प्रचलित मानदण्डों के आधार पर विचार किया गया । सामान्य मूल्य की गणना के लिए इसमें ***% लाभ की समुचित गुंजाइश को भी जोड़ा गया । उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकारों तथा ग्राम मेजों के रेशमी कपड़े के लिए विभिन्न सामान्य मूल्यों की गणना की गयी ।

15. नानजिंग टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि0 ने दो समर्थक उत्पादकों के साथ निर्यातक प्रश्नावली एवं एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए । प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर सम्बद्ध उत्पाद का निर्यात किया । सम्बद्ध वस्तुओं के 18 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया । ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ सं. 14 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया ।

16. जिजियांग जी एण्ड एफ फॉरेन ट्रेडिंग कं.लि. ने दो समर्थक उत्पादकों के साथ निर्यात प्रश्नावली तथा एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए । प्रश्नावली में दिए गए उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर सम्बद्ध उत्पाद का आयात किया । सम्बद्ध वस्तुओं के 15 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया । सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ के अनुसार किया गया । सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर पैराग्राफ सं. 14 के अनुसार किया गया ।

17. सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ग्रुप कं. लि. ने दो समर्थक उत्पादकों के साथ निर्यातक प्रश्नावली एवं एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए । प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया । सम्बद्ध वस्तुओं के 12 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया । सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर पैराग्राफ सं. 14 के अनुसार किया गया ।

18. चोंगक्विंग सनफील शिजू सिल्क वीविंग कं. लि. ने निर्यातक प्रश्नावली और एमईटी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया । प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर सम्बद्ध उत्पाद का निर्यात किया । सम्बद्ध वस्तुओं के 24 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया । सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर पैराग्राफ सं. 14 के अनुसार किया गया ।

निर्यात कीमतः

19. **जिजियांग केथाया इन्टेल कं. लि.**

प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को *** मीटर सम्बद्ध उत्पाद का निर्यात किया । सम्बद्ध वस्तुओं के 45 प्रकारों अथवा पीसीएन का निर्यात किया गया । प्रश्नावली के परिशिष्ट 3क में

प्रदत्त भारत में निर्यात हेतु बिक्री मूल्य संरचना से संबंधित सूचना पर विचार किया गया जिसमें कमीशन, पैकिंग, अन्तर्देशीय भाड़े, बीमा, भण्डारण एवं प्रहस्तन, निरीक्षण, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा, प्रशासनिक प्रभार के संबंध में बैंकों को किए गए भुगतान से संबंधित समायोजन तथा ऋण लागत दर्शाई गई है । प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम हेतु निर्यातक द्वारा प्रदत्त निर्यात मूल्य तथा समायोजन पर विचार किया गया, जो सत्यापन के अध्यधीन है । उपर्युक्त समायोजन करने के बाद विभिन्न पीसीएन/प्रकारों के संबंध में कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात मूल्य की गणना की गयी ।

20. नान्जिंग टेक्सटाइल्स आयात एवं निर्यात निगम लि.

प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी. का निर्यात किया था । संबद्ध वस्तु के 18 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार का निर्यात किया गया था । निर्यातक ने परिशिष्ट 3क अर्थात् एफओबी के पूर्व एवं उसके पश्चात् के प्रभार के अनुरूप बिक्री कीमत संरचना के लिए विभिन्न समायोजनों के ब्यौरे नहीं दर्शाए हैं । इस सूचना को प्रस्तुत करने के बारे में सूचित किए जाने पर निर्यातक ने सूचित किया है कि पैकिंग, अंतर्देशीय भाड़ा, भण्डारण, प्रहस्तन जैसे समायोजनों का भुगतान फैब्रिक उत्पादक द्वारा किया जाता है जो अपना उत्पाद नान्टेक्स को बेचते हैं क्योंकि नान्टेक्स द्वारा सीधे उत्पादक से शिपमेंट का प्रबंधन करने के लिए कहा जाता है । जब नानटेक्स चीनी उत्पादक से उत्पाद खरीदते हैं तो ये सभी लागतें नानटेक्स की क्रय कीमत में शामिल होती हैं । प्राधिकारी ने निर्यातक के उत्तर पर विचार किया है और जहाँ कहीं भी सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां उन्होंने आवश्यक समायोजन किए हैं और दूसरी मदों के संबंध में उचित समझे गए समायोजन किए गए हैं । प्राधिकारी ने सत्यापन के लंबित रहने तक प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए निर्यात कीमत और समायोजन पर विचार किया है ।

21. झेजियांग जीएंडएफ फॉरेन ट्रेडिंग कं. लि.

प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी. का निर्यात किया था । ये निर्यात संबद्ध वस्तु के 15 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार के थे । भारत के निर्यात के लिए बिक्री कीमत संरचना के संबंध में प्रश्नावली के परिशिष्ट 3क में दी गई सूचना पर विचार किया गया है जो अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार तथा निरीक्षण प्रभार के लिए समायोजन को दर्शाती है । सत्यापन के लंबित रहने तक प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए निर्यातक द्वारा दी गई निर्यात कीमत और समायोजन पर विचार किया है । उपर्युक्त समायोजनों के पश्चात् विभिन्न पीसीएन/प्रकारों के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है ।

22. सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स आयात एवं निर्यात ग्रुप कं. लि.

प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी. का निर्यात किया था । ये निर्यात संबद्ध वस्तु के 12 प्रकारों अथवा पीसीएन प्रकार के थे । भारत के निर्यात के लिए बिक्री कीमत संरचना के संबंध में प्रश्नावली के परिशिष्ट 3क में दी गई सूचना पर विचार किया गया है जो कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री परिवहन/पत्तन प्रहस्तन प्रभार, बीमा, फार्म ए का प्रभार,

ऋण लागत, सीमाशुल्क दलाली शुल्क, बैंक प्रभार तथा निरीक्षण प्रभार के लिए समायोजन को दर्शाती है । सत्यापन के लंबित रहने तक प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए निर्यातक द्वारा दी गई निर्यात कीमत और समायोजन पर विचार किया है । उपर्युक्त समायोजनों के पश्चात् विभिन्न पीसीएन/प्रकारों के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है ।

23. चांगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं. लि.

प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार निर्यातक ने भारत का संबद्ध वस्तु के *** मी. का निर्यात किया था । ये निर्यात संबद्ध वस्तु के 24 प्रकारों या पीसीएन प्रकार के थे । निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में केवल अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा और बीमा के लिए समायोजन दर्शाया है, तथापि अंतर्देशीय बीमा, भण्डारण, प्रहस्तन, शिपिंग प्रभार, क्लीयरेंस एवं प्रहस्तन, बैंक प्रभार एवं निरीक्षण आदि के संबंध में व्ययों/समायोजनों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है । निर्यातक से इस संबंध में सूचना देने को कहा गया था परन्तु सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है । प्राधिकारी ने अन्य निर्यातकों से प्राप्त सूचना के आधार पर उचित समायोजन किए हैं । सत्यापन के लंबित रहने तक उपर्युक्त समायोजनों के पश्चात विभिन्न पीसीएन/प्रकारों के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का परिकलन किया गया है ।

पाटन मार्जिन

24. प्राधिकारी ने कारखाना द्वार स्तर पर विभिन्न प्रकारों/पीसीएन के सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमत की तुलना कर के संबद्ध वस्तु के प्रत्येक भिन्न-भिन्न प्रकार/पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन का परिकलन किया है । यह तुलना संबद्ध वस्तु के प्रत्येक प्रकार/पीसीएन, जिसके लिए जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के तुलनीय प्रकार/पीसीएन का निर्यात किया गया था, के परिकलित सामान्य मूल्य पर आधारित थी । इस प्रकार, प्रत्येक प्रकार के लिए पाए गए ऋणात्मक पाटन को शून्यीकृत किए बिना प्रत्येक प्रकार के लिए पाए गए पाटन का परिकलन कर के भारित औसत एकल सकल पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था । इस तुलना से जांच अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन की उपस्थिति प्रदर्शित हुई है । निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है : -

उत्पादक/निर्यातक	पाटन मार्जिन %
झिजियांग कथाया इंटरनेशनल कं. लि.	115.74
नान्जिंग टेक्सटाइल्स इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि.	80.48
झेजियांग जी एंड एफ फॉरेन ट्रेडिंग कं. लि.	102.77
सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपार्ट ग्रुप कं. लि.	57.42
चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं. लि.	115.73

नमूना न लिए गए निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन

25. निम्नलिखित निर्यातकों, जिन्होंने नमूना प्रश्नावली के उत्तर में स्वयं के संबंध में जानकारी दी थी परन्तु जिन्हें नमूने में शामिल नहीं किया गया था, को उपर्युक्त नमूना लिए गए निर्यातकों के

लिए निर्धारित पाटन मार्जिन का भारित औसत पाटन मार्जिन दिया गया है । भारित औसत पाटन मार्जिन 107.91% है ।

क्र.सं.	निर्यातक का नाम	क्षेत्र
1	लौंगचाँग यिन्हुआ सिल्क कं.	सिचुआन
2	जियांग्सु हांगबाओ ग्रुप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	जियांग्सु
3	चौंगक्विंग बोशान सिल्क कं. लि.	चौंगक्विंग
4	आन्हुई सिल्क कं. लि.	आन्हुई
5	जिनयुआन कुकून सिल्क ग्रुप कं. लि.	जियांग्सु
6	हुझोऊ सेन्टाँग सिल्क वीविंग कं. लि.	झेजियांग
7	शंघाई सिल्क ग्रुप कं. लि.	शंघाई
8	झेजियांग मिहुआंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	झेजियांग
9	देयांग बायलाँग लाइफेंग सिल्क फैब्रिक कं. लि.	सिचुआन
10	जियांग्सु सोहो इंटरनैशनल ग्रुप कार्पो.	जियांग्सु
11	गुआँगडाँग सिल्क इंटरनैशनल ग्रुप गोल्ड सिल्क कं. लि.	गुआंगडाँग
12	गुआँगडाँग सिल्क इंटरनैशनल ग्रुप विन्टेक्स कॉर्पो. लि.	गुआंगडाँग
13	चैंग्डु इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	सिचुआन
14	चैंग्डु किल्टर सिल्क ट्रेड कार्पो. लि.	सिचुआन
15	चौंगक्विंग विन्टस न्यू स्टार ट्रेड डेवलपमेंट लि.	चौंगक्विंग
16	ग्यूझो फोर्च्यून ग्रीन प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	गुझोऊ
17	किन्डाओ हिरून इन्वेस्टमेंट ग्रुप कं. लि.	शांगडोंग
18	झेजियांग जियांक्सिंग सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	झेजियांग
19	सिचुआन न्यू राइज (जैंगझोंग) सिल्क कं. लि.	सिचुआन
20	सिचुआन न्यू राइज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	सिचुआन
21	सिचुआन यैट सिल्क इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट कं. लि.	सिचुआन
22	चेनफेंग (जियांग्सू) क्लोथिंग कं. लि.	जियांग्सु

निम्नलिखित तीन निर्यातकों, जिन्होंने नमूना प्रश्नावली का उत्तर देने के बाद जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था, को गैर- सहयोगी माना गया है और उन्हें उपर्युक्त सूची से हटा दिया गया है -

(i) चौंगक्विंग गोल्डन सिल्क कं. लि.

(ii) सिचुआन न्यू सेंचुरी इंडस्ट्रीज कं. लि.

(iii) सिचुआन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री

व्यक्तिगत व्यवहार

26. पूर्व पैराग्राफ 6 में उल्लिखित 12 निर्यातकों ने व्यक्तिगत व्यवहार के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि नमूने में जांच किए गए पांच नमूना लिए गए निर्यातकों/उत्पादकों के निर्यात 117 मिलियन मी. के कुल निर्यात का 50.63% 117 मिलियन मी. के कुल निर्यात का 50.63% है (सीसीसीटी आंकड़ों के अनुसार) । प्राधिकारी ने पाया है कि 12 निर्यातकों की व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और उससे समय पर जांच समाप्ति में बाधा आ

सकती है । प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिनों की सिफारिश न करने का प्रस्ताव करते हैं ।

अन्य निर्यातक

27. अन्य निर्यातक, जिन्होंने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में सहयोग नहीं किया है, के संबंध में प्राधिकारी सहयोगी निर्यातकों के पाटन मार्जिनों में से उच्चतम को अपनाए जाने का प्रस्ताव करते हैं ।

ड. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग को क्षति

28. पाटनरोधी नियमावली का नियम-11 निम्नानुसार है-

क्षति का निर्धारण

(1) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का अपना जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है;

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों को परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा तथा पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे ।

क्षति के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि -

(क) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनां की वस्तुपरक जांच शामिल होगी ।

(ख) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का

प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती ।

29. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iv) के अनुसार क्षति विश्लेषण किया गया है, जिसके संगत उद्धरण निम्नानुसार हैं -

(iv) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों में प्राकृतिक एवं संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से आय या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों, सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी आवश्यक आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए ।

30. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त पैरा (iv) में विनिर्दिष्ट सभी मापदण्डों की जांच किया जाना अपेक्षित है । तथापि, यह भी एक स्थापित तथ्य है कि सभी मापदण्डों से घरेलू उद्योग की क्षति प्रदर्शित होना आवश्यक नहीं है । कारकों के समग्र मूल्यांकन से प्राधिकारी यह निर्धारित करने में सफल हो सकेंगे कि किसी विशेष मामले में क्षति उपस्थित है अथवा नही । इस संबंध में उद्योग तथा विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति को समझना तथा उसका विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है ।

31. प्राधिकारी ने गहराई से जांच की है और पाया है कि विभिन्न अन्य मामलों में ठेठ घरेलू उद्योग की तुलना में वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की प्रकृति बहुत अलग है । यह उद्योग कुटीर उद्योग के स्वरूप का है और हजारों लघु इकाइयों वाला यह उद्योग बिखरा हुआ है । वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण बहुत ही छोटी इकाइयों द्वारा किया जाता है जिनका संचालन मुख्यतः व्यक्तिगत परिवारों द्वारा किया जाता है । ये इकाइयाँ न तो अपने खाते रखती हैं और न ही विभिन्न भारतीय कानूनों के तहत उनके द्वारा खाते रखा जाना अपेक्षित है जैसाकि संगठित उद्योग के मामले में होता है । आम तौर पर विनिर्माण के साथ- साथ बिक्री संबंधी प्रचालन भी निर्धन और अपनपढ़ परिवारों द्वारा किए जाते हैं जो पीढ़ियों से इसी कार्य में लगी हुई हैं और उन्होंने इसकी जानकारी एवं दक्षता विरासत के रूप में प्राप्त की है । यह नोट किया गया है कि प्रचालन की प्रकृति और इकाइयों के आकार को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग से क्षति संबंधी विभिन्न मापदण्डों के संबंध में सही ब्यौरे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं जैसा कि आमतौर पर अपेक्षित होता है और जैसा कि संगठित क्षेत्र में स्थित उद्योग से अन्य मामलों में प्राप्त किया जाता है । उद्योग की उपर्युक्त प्रकृति को निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान भी नोट किया है ।

32. प्राधिकरी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें वे स्थितियां और संभाव्यताएं भी शामिल हैं जहां घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन करने के लिए प्राधिकारी के पास पूर्ण एवं स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध न हों । यदि संचयी स्तर पर प्राधिकारी के पास पर्याप्त आंकड़े और सूचना उपलब्ध हो तो व्यक्तिगत इकाइयों की सूचना प्राप्त करना कानूनी रूप से अपेक्षित नहीं है, हालाँकि व्यवहार्य रूप में प्राधिकारी व्यक्तिगत इकाइयों की सूचना पर विचार करना आमतौर पर उचित समझते हैं । घरेलू उद्योग की प्रकृति एवं संघटन पर विचार कर के और कानूनी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संचयी स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर क्षति के आकलन का प्रस्ताव करते हैं ।

33. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर क्षति का आकलन करने का प्रस्ताव करते हैं, जो प्राधिकारी के विचार से विश्वसनीय और अनुबंध II के पैरा (iv) में की गई अपेक्षा के अनुसार निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है । केंद्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त जानकारी से प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में निश्चायक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है ।

आयात की मात्रा

34. निम्नांकित तालिका यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में चीनी आयातों का हिस्सा अप्रैल, 2000- मार्च, 2001 में 36% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 97% हो गया । यह भी नोट किया गया है कि आधारर वर्ष अप्रैल, 2000- मार्च, 2001 की तुलना में जांच अवधि के दौरान चीन से आयात में कई गुणा वृद्धि हुई है । इससे संकेत मिलता है कि चीन से आयात उच्चतर बाजार हिस्सा प्राप्त करने में सफल रहे हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में चीन से आयात को कम कर के बताया गया है । चीनी वाणिज्य मंडल की रिपोर्ट के अनुसार जांच अवधि के दौरान 117 मिलियन वर्ग मी. या 5850 मी. टन (3900 मी. टन का वार्षिकृत आंकड़ा) का आयात हुआ था । सीसीसीटी द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच अवधि (वार्षिकृत) के दौरान आयात में 53% की वृद्धि हुई है ।

डीजीसीआईएंडएस आयात	अप्रैल 00 से मार्च 01	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	जांच अवधि - अप्रैल 03 से सित. 04 तक	जांच अवधि (वार्षिकृत)
चीन (मी. टन)	124	811	2555	3440	2294
कुल आयात (मी. टन)	346	1165	2929	3543	2362
% हिस्सा	36%	70%	87%	97%	97%

प्राधिकारी ने विश्व व्यापार एटलस के अनुसार चीन से सिल्क फैब्रिक के आयात से संबंधित आंकड़ों पर भी विचार किया है जो निम्नानुसार है -

चीन से सिल्क फैब्रिक के निर्यात (एचएसएस 5007: 2011 शहतूती, रेशम का ब्लीच न किया हुआ अथवा ब्लीच किया हुआ बुना हुआ फैब्रिक- मात्रा मी. टन में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
विश्व	104,372,481	100,984,242	131,395,482	165,033,508	213,811,686
भारत	1,448,613	10,786,081	41,051,422	67,652,080	96,491,270

प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान चीन से सिल्क फैब्रिक के आयात में 65-60% की वृद्धि हुई है । वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान 45-70% की वृद्धि हुई है ।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री मात्रा

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में खण्डों में बँटा हुआ रेशम फैब्रिक उद्योग काफी बड़ा है और यह बिजली करघे की बहुत ही छोटी इकाइयों में बिखरा हुआ है जिन्हें आमतौर पर व्यक्तिगत परिवारों द्वारा चलाया जाता है । केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भारत में प्रचालनरत बिजलीकरघों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई है । रेशम फैब्रिक के घरेलू उत्पादन और घरेलू बिक्री पर पातित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच जांच अवधि के दौरान भारत में प्रचालनरत बिलीकरघों की संख्या के संबंध में भी की जा सकती है । रेशम फैब्रिक का उत्पादन एवं बिक्री किसी वर्ष विशेष के दौरान स्थापित एवं चलाए जा रहे बिजलीकरघों की संख्या के साथ प्रत्यक्षतः समानुपाती है । केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रचालनरत कई बिजलीकरघे बंद होने पर बाध्य हुए हैं और प्रचालनरत बिलीकरघों की संख्या वर्ष 2000-2001 में 75,000 से घटकर जांच अवधि के दौरान 30,000 के स्तर तक पहुंच गई जिससे घरेलू उद्योग के अधिकतर घटक बंद होने के लिए बाध्य हो गए । इस उद्योग में शामिल काफी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो गई है । आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि भारतीय उत्पादकों के घरेलू उत्पादन एवं घरेलू बिक्री में आधार वर्ष 2000-01 की तुलना में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है जबकि उसी के साथ चीन से आयात वर्ष 2000-01 में 124 मी. टन की तुलना में कई गुणा अर्थात 18.5 गुणा बढ़ कर जांच अवधि के दौरान 22.94 मी. टन (वार्षिकृत आयात) हो गए हैं । सीसीसीटी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान भारत के आयात में 31 गुना वृद्धि हुई है । इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन एवं बिक्रियों में अत्यधिक गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को सीधी क्षति हुई है । परिणामतः क्षमता एवं उसके उपयोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

बाजार हिस्सा

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसे- जैसे भारत में कार्य कर रहे बिजली करघों की संख्या में कमी आई है, वैसे ही जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में भी गिरावट आई है । परिणामस्वरूप, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । इस निष्कर्ष का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि जांच अवधि के दौरान चीन से आयात में 18.5 गुना वृद्धि हुई है । (डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-2001 में 124 मी. टन से जांच अवधि के दौरान 2294 मी. टन) । सीसीटी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में आयात में जांच अवधि के दौरान 31 गुना वृद्धि हुई है ।

कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री एवं कीमत ह्रास

37. घरेलू कीमतों पर आयातित संबद्ध वस्तु के कीमत प्रभाव के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सीएसबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर बिक्री कीमतों पर विचार किया है । इन कीमतों की तुलना विभिन्न प्रकारों जिनके लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, की आयात कीमतों से की गई है । तुलना करने पर यह नोट किया गया है कि भारत में घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमतों की तुलना में आयात कीमतें बहुत कम हैं, क्रेप एवं जॉर्जेट सिल्क के कुछ प्रकार जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा आमतौर पर किया जाता है, के संबंध में कीमत कटौती 5% से 45% के बीच पाई गई थी । अतः जहाँ तक आँकड़े उपलब्ध हैं, कीमत कटौती प्रत्यक्ष है ।

कम कीमत पर बिक्री के संबंध में विश्लेषण करते समय प्राधिकारी ने इष्टतम उत्पादन लागत जिसमें सिल्क यार्न की लागत, परिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ राशि शामिल हैं, के आधार पर गैर क्षतिकारक कीमत का निर्धारण किया है । इसकी तुलना सहयोगी निर्यातकों के संबंध में आयात की पहुँच मूल्य से की गई है । ऊपर उल्लिखित लागत घटकों के बारे में सूचना केंद्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त की गई है । प्राधिकारी ने पाया कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है । जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री क्रेप में 29% से 53%, जॉर्जेट में 42% से 50%, शिफॉन में 40% से 74%, बुताई में 18% सें 95% और अन्य किस्मों में 2% से 52% के बीच रही है ।

प्राधिकारी ने विश्व व्यापार एटलस कें अनुसार चीन से सिल्क फैब्रिक के आयात से संबंधित आंकड़ों पर भी विचार किया है जो निम्नानुसार है -

चीन से सिल्क फैब्रिक के निर्यात (एचएसएस 5007: 2011 शहतूती, रेशम का ब्लीच न किया हुआ अथवा ब्लीच किया हुआ बुना हुआ फैब्रिक- मात्रा मी. टन में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
विश्व	274.65	242.683	249.106	301.669	431.639
भारत	3.225	19.781	58.047	92.929	163.694

चीन से सिल्क फैब्रिक के निर्यात का मूल्य (एचएसएन 5007 2011 शहतूती रेशम का ब्लीच न किया अथवा ब्लीच किया हुआ, बुना हुआ फैब्रिक- मूल्य मिलियन अम. डा. में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
विश्व	2.63	2.4	1.9	1.83	2.02
भारत	2.23	1.83	1.41	1.37	1.7

उपर्युक्त आंकड़ों से भी यह पाया गया है कि वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2003-04 जो कि जांच अवधि के 12 महीने हैं, में चीन से सिल्क फैब्रिक की निर्यात कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है । प्राधिकारी ने पाया कि संबद्ध देश से सिल्क फैब्रिक के आयात की घटती हुई कीमतों के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों का कीमत ह्रास प्रत्यक्ष था ।

रोजगार एवं वेतन

38. जैसा ऊपर कहा गया है, भारत में कार्य कर रहे बिजलीकरघों की संख्या वर्ष 2000-2001 में 75,000 से घटकर जांच अवधि के दौरान 30,000 हो गई है । घरेलू उद्योग के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने यह भी देखा कि बड़ी संख्या में बिजलीकरघे या तो बंद हो गए हैं या कार्यहीन हैं । यदि बटाई एवं बुनाई की एक संयुक्त इकाई पर विचार किया जाए तो सामान्य तौर पर बिजलीकरघे में प्रत्यक्ष विचार किया जाए ता सामान्य तौर पर बिजलीकरघे में प्रत्यक्ष रोजगार 3 व्यक्ति प्रति करघा होता है । बिजलीकरघों का बड़ी संख्या में बंद होना इस अतिमहत्वपूर्ण परंपरागत उद्योग में रोजगार की हानि का एक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष द्योतक है । वर्तमान क्षमता के कम उपयोग का परिणाम बटाई, प्रसंस्करण, प्रिंटिंग आदि जैसे कई छोटे- बड़े कार्यकलापों के बंद होने के रूप में हुआ है जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं ।

मजदूरी पर प्रभाव को क्षति जांच अवधि के दौरान प्रचालनरत पावरलूमों की संख्या में कमी के संबंध में भी देखा जा सकता है । यदि रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव रेशम के वस्त्रों के उत्पादन में लगे लोगों की मजदूरी/प्रति परिवार आय पर आवश्यक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

वृद्धि

39. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्रियों, रोजगार और बाजार हिस्से में गिरावट आई है । यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वृद्धि की दृष्टि से क्षति उठानी पड़ी है ।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

40. यह तथ्य कि वित्तीय बाधाओं के कारण अधिकाधिक इकाइयाँ बंद हो रही हैं इस बात की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

पाटन मार्जिन की मात्रा

41. पाटन मार्जिन काफी अधिक अर्थात 57.42% से 115.74% के बीच है ।

लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पादन की बिक्री कीमत लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के स्तर के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है । जैसाकि ऊपर बताया गया है कि कम आयात कीमतों (उत्पादन लागत से कम) से घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । चूंकि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वस्तुतः कमी हुई है इसलिए लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव की मौजूदगी को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित ढंग से निर्धारित किया जा सकता है ।

43. घरेलू उद्योग के भण्डारों के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वर्तमान मामले में भण्डार का विश्लेषण प्रासंगिक नहीं है क्योंकि रेशम के कपड़ों के उत्पादन का अधिकांश भाग जाब- वर्क आधार पर किया जाता है ।

उत्पादकता

44. यह नोट किया जाता है कि इस कारक की स्वतः उचित मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, उद्योग की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि यह विश्वास करने या सलाह देने के लिए भी कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पावरलूमों की उत्पादकता हो सकती है । इस मामले में, संगत सूचना के अभाव में प्राधिकारी इसे क्षति विश्लेषण के लिए संगत कारक नहीं मानते हैं ।

च. क्षति संबंधी निष्कर्ष

45. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारी वृद्धि हुई है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वर्ष 2000-01 की तुलना में 1850% तक की वृद्धि हुई है । पाटित आयातों का घरेलू मांग में बड़ा हिस्सा रहा है और इसमें भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव स्पष्ट है । जहाँ तक कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने सुस्पष्ट प्रभाव पाया है क्योंकि पाटित उत्पाद के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम है । उपलब्ध आंकड़ों से प्राधिकारी को यह भी पता चला है कि भारी मात्रा में कीमत कटौती हुई है । प्राधिकारी को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में करघों के बंद होने से गंभीर क्षति का पता चला है । वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक भारी संख्या में लगभग 45,000 करघों का बंद होना स्वयं ही क्षति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । पावरलूमों के बंद होने से जुड़ा तथ्य रोजगार में कमी का है । आमतौरर पर एक पावरर लूम तीन कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराता है । इसके अलावा, इससे जुड़े कार्यकलापों जैसे रंगाई, प्रसंस्करण आदि से संबंधित कामगारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है । बड़ी संख्या में करघों के बंद होने से रोजगार की उपलब्धता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है । रोजगार में कमी या स्वराजगारर में लगे बुनकरों की आजीविका अर्जित करने के स्रोत के रूप में क्षति सुस्पष्ट है । बड़ी संख्या में करघे बंद होने से पावर लूमों में रेशम फेब्रिक के उत्पादन में जबरदस्त कमी हुई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा बिक्रियों में गिरावट आई है । बिक्रियों की विनिर्दिष्ट मात्रा की गैर मौजूदगी में भी प्राधिकारी उत्पादन, बिक्रियों और उत्पादन क्षमता में गिरावट के बारे में युक्तिसंगत ढंग से आश्वस्त हैं । प्राधिकारी के वैचारिक स्थिति में कुछेक पावरलूम क्लस्टर का सत्यापन दौरे भी शामिल हैं । जहाँ तक कुछेक मानदंडों अर्थात मजदूरी, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह का संबंध है, प्राधिकारी उचित आंकड़ों के अभाव किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं । तथापि, प्राधिकारी द्वारा ब्यौरेवार विचार किए गए उपर्युक्त कारकों जो इस जांच में काफी अधिक और निर्णायक महत्व के हैं, को देखते हुए इन कारकों कों महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है । अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि रेशम फेब्रिक उद्योग के घरेलू पावर लूमों को वास्तविक क्षति हुई है ।

कारणात्मक संबंध

46. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के कारण संबंधी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार तथा यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत नियम 11 के तहत अनुबंध II के पैरा (v) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात कारकों के प्रभाव और उद्योग की स्थिति पर उनके परिणामों की जांच की है । पाटित आयातों से इतर ज्ञात कारकों जिससे घरेलू उद्योग को उसी समय क्षति हो सकती थी, की भी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई है कि इन अन्य कारकों से हुई संभव क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए ।

पाटित आयातों का प्रभाव

47. पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि से घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई है । संबद्ध देश से भारी मात्रा में पाटित आयातों के चलते बुनकरों को काम बंद करना पड़ा है या अन्य कपड़ों की बुनाई के कार्य में लगना पड़ा है । रेशम की बुनाई वाले पावरलूमों का भारी संख्या में बंद होने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । पावरलूम के बुनकरों द्वारा अन्य प्रकार की फेब्रिक्स जैसे विस्कोस के कार्य में लगने संबंधी कुछ

तर्कों के संबंध में प्राधिकारी का यह विचार है कि बुनकरों का रेशम के फेब्रिक्स के उत्पादन में लगना पड़ा है । प्राधिकारी पाते हैं कि पावर लूमों के बंद होने, बुनकरों और इससे जुड़ें कार्यकलापों में लगे अन्य लोगों को रोजगार में कमी के रूप में इसके परिणाम को भुगतना पड़ा है और यह संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में भारी वृद्धि के कारण हुआ है । इसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी और घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि इन बुनकरों में से अनेक को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए अपने करघों को बेचना पड़ा था । परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमत पर पाटित वस्तुओं के काफी मात्रा में आयातों से भारी घाटा हुआ है । पाटित आयातों द्वारा की गई कीमत कटौती आयातित संबद्ध वस्तुओं की कम कीमत का प्रत्यक्ष परिणाम है । घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में अपनी उत्पादन लागत के अनुरूप स्तर तक वृद्धि नहीं कर पाया है और इससे कीमत वृद्धि नहीं हो पाई है जो अन्यथा हुई होती । वह कीमत जिस पर आयातित संबद्ध वस्तु बाजार में उपलब्ध है, से घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है क्योंकि इससे उनकी प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत नहीं प्राप्त हो पाती है । परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटा हुआ था और बड़ी संख्या में पावर लूमों को बंद करना पड़ा था ।

कम कीमत पर भारी बिक्री और पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि के कारण लूमों का बंद होना, घाटा और रोजगार में कमी हुई है ।

48. अन्य कारकों का प्रभाव

(क) अन्य घरेलू उत्पादकों का निष्पादन

आवेदक घरेलू उद्योग में मौजूदा पावर लूम बुनकर शामिल थे जो इस समसय रेशम की फेब्रिक का उत्पादन कर रहे हैं । घरेलू उद्योग का कोई अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है और इसलिए अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा क्षति का कारण नहीं हो सकता है ।

(ख) माँग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग की प्रकृति पर विचार करते हुए देश में बिल्कुल सही मांग का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, प्राधिकारी इस तथ्य के कारण इसे कारक को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है और यह मानने के लिए कोई सूचना या साक्ष्य नहीं है कि मांग या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है ।

(ग) पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा एवं कीमत

उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश से इतर देशों के मूल के संबंधित उत्पाद की कुल आयात मात्रा काफी कम है और इसलिए अनंतिम रूप से यह माना गया है कि इनसे घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित उत्पाद की बिक्री समान वाणिज्यिक ग्रेडों और विनिर्देशनों वाली घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए की जाती है । इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं समान उत्पाद हैं और इनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों/अनंतिम उपयोगों में किया जाता है । कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं मौजूद नहीं है ।

(ड.) प्रौद्योगिकी का विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता

घरेलू उद्योग की जांच के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग प्रौद्योगिकी की कमी के कारण अक्षम नहीं है और न ही प्रौद्योगिकी में किसी महत्वपूर्ण विकास को क्षति के कारक के रूप में दर्शाया जा सकता है । प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संगत कारक नहीं है ।

घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में भी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को भी घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले संगत कारक नहीं माना गया है । यह भी नोट किया जाता है कि विभिन्न आर्थिक संकेतकों के संबंध में निष्पादन का निर्धारण केवल घरेलू बिक्रियों के संबंध में किया गया है । इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का परिणाम नहीं है ।

उत्पादकता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मानने के लिए कोई सूचना या कारण नहीं है कि पावरलूमों की उत्पादकता में कमी हुई है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है ।

(च) कारण निर्धारण संबंधी निष्कर्ष

घरेलू उद्योग के पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में काफी गिरावट आई है और बड़ी संख्या में पावरलूम बंद हुए हैं । संबद्ध देशों से भारी मात्रा में पाटित आयातों के चलते बुनकरों को काम बंद करना या दूसरे फेब्रिक की बुनाई शुरू करनी पड़ी है । संबद्ध देश से भारी मात्रा में पाटित आयातों के चलते बुनकरों को काम बंद करना पड़ा है या अन्य कपड़ों की बुनाई के कार्य में लगना पड़ा है । रेशम की बुनाई वाले पावरलूमों का भारी संख्या में बंद होने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । पावरलूम के बुनकरों द्वारा अन्य प्रकार की फेब्रिक्स जैसे विस्कोस के कार्य में लगने संबंधी कुछ तर्कों के संबंध में प्राधिकारी का यह विचार है कि बुनकरों का रेशम के फेब्रिक्स के उत्पादन में लगना पड़ा है । प्राधिकारी पाते हैं कि पावर लूमों के बंद होने, बुनकरों और इससे जुड़ें कार्यकलापों में लगे अन्य लोगों को रोजगार में कमी के रूप में इसके परिणाम को भुगतना पड़ा है और यह संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में भारी वृद्धि के कारण हुआ है । इसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी और घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि इन बुनकरों में से अनेक को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए अपने करघों को बेचना पड़ा था । परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । चीनी आयातों के पाटन की भारी मात्रा के कारण शेष पावर लूम भी समाप्त होने की कगार पर हैं ।

अतः अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों के मूल के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तिवक क्षति हुई है ।

49. भारतीय उद्योग का हित

पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनःस्थिति लाना है जोकि देश के सामान्य हित में है ।

50. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुंलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास रूकेगा ओर उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा । उपभोक्ता तब भी दो अथवा उससे अधिक आपूर्ति स्त्रोतों को बनाए रख सकते हैं ।

(ञ) निष्कर्ष

प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि : -

(क) संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ख) घरेलू उद्योग को इससे वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों द्वारा क्षति हुई है ।

52. प्राधिकारी अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर अनंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है । प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है ।

तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देश क मूल से या वहाँ से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क शीर्ष 5007 के अंतर्गत आने वाले 20-100 ग्राम प्रति मीटर भार के रेशम फेब्रिक के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क क तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे । नीचे उल्लिखित देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ की अनुसूची 1 के उपशीर्षों के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लगाया जाने वाला पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम 9 में उल्लिखित राशि तथा प्रति मीटर आयातों के पहुँच मूल्य के बीच का अन्तर होगा -

क्रम सं.	उप-शीर्ष	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यात	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में तसर	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**झीजिंग कथाय इंट कं.लि.**			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
2	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रेप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**झीजिंग कथाय इंट कं.लि.**			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.69	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.29	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.78	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.35	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.57	मीटर	अम.डा.
3	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**झीजिंग कथाय इंट कं.लि.**			
			20-30					2.36	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.97	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.39	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.95	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.56	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.

4	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबताई	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	झीजिंग कथाय इंट कं.लि.			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.52	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.88	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.38	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.01	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
5	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	झीजिंग कथाय इंट कं.लि.			
			20-30					2.18	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.81	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.96	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.33	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.35	मीटर	अम.डा.
6	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में तसार	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	झीजियांग जी एंड एफ ट्रेडिंग कं.लि.			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
7	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सील्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	झीजियांग जी एंड एफ ट्रेडिंग कं.लि.			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.69	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.18	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.66	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.27	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.34	मीटर	अम.डा.
8	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	झीजियांग जी एंड एफ ट्रेडिंग कं.लि.			

			20-30					2.36	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.88	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.42	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.95	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.66	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
9	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**झीजियांग जी एंड एफ ट्रेडिंग कं.लि.**			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.52	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.95	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.37	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.03	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
10	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**झीजियांग जी एंड एफ ट्रेडिंग कं.लि.**			
			20-30					2.30	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.81	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.59	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.59	मीटर	अम.डा.
11	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में तसर	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं.लि.**			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
12	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं.लि.**			

			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.68	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.18	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.65	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.40	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.34	मीटर	अम.डा.
13	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं.लि.**			
			20-30					2.33	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.95	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.22	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.93	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.74	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
14	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं.लि.**			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.52	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.95	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.38	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.03	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
15	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**चौंगक्विंग सनफील शिझू सिल्क वीविंग कं.लि.**			
			20-30					2.27	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.89	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.43	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.60	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.74	मीटर	अम.डा.
16	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में सतार	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**नान्जिंग टैक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पो. लि.**			

			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
17	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**नान्जिंग टैक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पो. लि.**			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.60	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.18	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.55	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.23	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.34	ह्मीटर	अम.डा.
18	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**नान्जिंग टैक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पो. लि.**			
			20-30					2.30	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.77	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.66	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
19	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**नान्जिंग टैक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पो. लि.**			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.44	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.87	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.29	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.03	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
20	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**नान्जिंग टैक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पो. लि.**			

			20-30					2.30	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.81	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.35	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.62	मीटर	अम.डा.
21	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में सतार	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं.लि.**			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
22	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं.लि.**			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.70	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.18	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.55	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.35	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.34	मीटर	अम.डा.
23	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं.लि.**			
			20-30					2.36	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.88	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.42	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.95	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.74	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
24	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबुताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं.लि.**			

			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.52	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.95	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.38	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.03	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
25	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सिचुआन सिल्क फैब्रिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं.लि.**			
			20-30					2.30	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.81	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.60	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.62	मीटर	अम.डा.
26	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में तसार	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**इस तालिका के अंत में दी गई सूची के अनुसार वे निर्यातक जिनका नमूना नहीं लिया गया है ***			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
27	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**इस तालिका के अंत में दी गई सूची के अनुसार वे निर्यातक जिनका नमूना नहीं लिया गया है ***			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.67	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.29	मीटर	अम.डा.

			51-60					3.66	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.34	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.57	मीटर	अम.डा.
28	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्जेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**इस तालिका के अंत में दी गई सूची के अनुसार वे निर्यातक जिनका नमूना नहीं लिया गया है ***			
			20-30					2.35	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.95	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.39	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.92	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.57	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
29	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबुताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**इस तालिका के अंत में दी गई सूची के अनुसार वे निर्यातक जिनका नमूना नहीं लिया गया है ***			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.48	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.89	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.37	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.01	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.
30	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**इस तालिका के अंत में दी गई सूची के अनुसार वे निर्यातक जिनका नमूना नहीं लिया गया है ***			
			20-30					2.19	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.85	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.40	मीटर	अम.डा.

			51-60					3.89	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.37	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.39	मीटर	अम.डा.
31	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में तसार	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सभी अन्य निर्यातक**			
			20-30					2.48	मीटर	अम.डा.
			31-40					3.06	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.63	मीटर	अम.डा.
			51-60					4.21	मीटर	अम.डा.
			61-80					5.07	मीटर	अम.डा.
			81-100					6.15	मीटर	अम.डा.
32	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में क्रैप	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सभी अन्य निर्यातक**			
			20-30					2.22	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.70	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.18	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.66	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.38	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.34	मीटर	अम.डा.
33	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में जॉर्नेट/शिफॉन	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सभी अन्य निर्यातक**			
			20-30					2.36	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.89	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.42	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.95	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.74	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.80	मीटर	अम.डा.
34	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में हबुताई	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	**सभी अन्य निर्यातक**			
			20-30					2.09	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.52	मीटर	अम.डा.
			41-50					2.95	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.38	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.03	मीटर	अम.डा.
			81-100					4.89	मीटर	अम.डा.

35	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	सिल्क फैब्रिक	ग्राम प्रति मी. की निम्नलिखित भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	सभी अन्य निर्यातक			
			20-30					2.30	मीटर	अम.डा.
			31-40					2.81	मीटर	अम.डा.
			41-50					3.32	मीटर	अम.डा.
			51-60					3.83	मीटर	अम.डा.
			61-80					4.60	मीटर	अम.डा.
			81-100					5.62	मीटर	अम.डा.

*** गैर-नमूने वाले निर्यातकों की सूची**

क्र.सं.	निर्यातक का नाम
1	लौंगचाँग यिन्हुआ सिल्क कं.
2	जियांग्सु होंगबाओ ग्रुप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
3	चौंगक्विंग बोशान सिल्क कं.लि.
4	आन्हुई सिल्क कं.लि.
5	जिनयुआन कुकून सिल्क ग्रुप कं.लि.
6	हुझोऊ सेन्यँग सिल्क वीविंग कं.लि.
7	शंघाई सिल्क ग्रुप कं.लि.
8	झेजियांग मिहुआंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
9	देयांग बायलाँग लाइफ्रेंग सिल्क फैब्रिक कं.लि.
10	जियांग्सु सोहो इंटरनैशनल ग्रुप कॉर्पो.
11	गुऑंगडॉंग सिलिक इंटरनैशनल ग्रुप गोल्ड सिल्क कं.लि.
12	गुआँगडाँग सिलिक इंटरनैशनल ग्रुप विन्टेक्स कार्पो.लि.
13	चेंग्ड इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
14	चेग्डु किल्टर सिल्क ट्रेड कॉर्पोरेशन लि.
15	चौंग[illegible]न विन्टस चू स्टार ट्रेड डेवेलपमेंट लि.
16	ग्युझोऊ फॉचुन ग्रीन प्रोडक्टस आयात एंड निर्यात कं.लि.
17	किन्डाओ हिरून इन्वेस्टमेंट ग्रुप कं.लि.
18	झंजियांग जियाक्सिंग सिल्क इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
19	सिचुआन न्यू राईस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
20	सिचुआन न्यू राईस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
21	सिचुआन येट सिल्क इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
22	चेनफैंग (जियांग्सु) क्लोथिंग कं.लि.

छ. आगे की प्रक्रिया:-

54. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों से इन जांच परिणामों पर टिप्पण्याँ आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;

(ii) प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को अलग से लिखा जा रहा है जो प्रारंभिक जांच परिणामों की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी अपने विचार इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

(iii) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें बाद में लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iv) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पहले आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी]]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2006

PRELIMINARY FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Silk Fabrics 20—100 gms per meter from People's Republic of China.

No. 14/20/2004-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as rules), thereof;

A. PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed:-

(i) On 18th May 2005, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the above Rules, issued a public notice (initiation notification) published in the Gazette of India, for initiation of an anti dumping investigation with regard to imports of Silk Fabrics 20-100 gms/meter from People's Republic of China (hereinafter also referred to as subject country). The anti dumping proceeding was initiated following an application received from Central Silk Board, Bangalore along with the following co-operative / federation / associations of power loom silk fabric producers viz.

a) The Mysore Power Loom Silk Manfacturers Co-operative Society Ltd., Bangalore, Karnataka.
b) M/s Karnataka Weavers Federation, Bangalore, Karnataka.
c) M/s Bangalore District and Bangalore Rural District Power-Loom Weavers Production and Sales Co-operative Federation Ltd., Dodda Ballapur, Karanataka.
d) M/s Silk Trade Association (Regd), Varanasi, UP.
e) M/s Pure Silk Weavers Association, Surat, Gujarat.

(the applicants) on behalf of the domestic industry representing a major proportion of the domestic production of said product. The application contained evidence of dumping of the said product and of material injury resulting there from, which was considered sufficient to justify the initiation of the investigation.

(ii) Before initiation, the Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of fully documented application made by the applicant before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(iii) According to sub rule (2) of the rule 6 supra, the Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, producers, importers, users, embassy of the

subject country concerned and to the applicants and gave them an opportunity to make their views known in writing.

(iv) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the application to all the known exporters and Embassy of subject country in India. According to sub-rule (4) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the relevant questionnaire to all the known exporters and Embassy of subject country in India and other interested parties. The Embassy of subject country in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

(v) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from subject country:

Sichuan Silk Imp/Exp Corps Chengdu, Sichuan	Chengdu Kilter Silk Co. Ltd. Chaoyang District
Zhejiang G.F. Foreign Trading Co. Ltd. Hangzhou	Chengdu Investment Imp. & Exp. Co. Ltd. Chengdu – 610041
Zhejiang Weilai I/E Co. Ltd., Shenzhen	Chongqing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd. Chongqing
Shandong Silk I/E Corp. Qingdao	Lhuzhou Sentong Silk Weaving Co. Ltd. Shanghai – 200120
Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd., Hangzhou	Frank Hang, Guangsheng & Partners, Beijing – 100020
Chengdu Silk I/E Corp. Sichuan	China Chamber Of Commerce For Import & Export Of Textiles, Chaoyang District
Guangdong Silk I/E Group Guangzhou	Guizhou Fortune Green Products I&E Co. Ltd. Guiyang Guizhou
Jiangxi Silk I/E Corp. Nanchang	
Chengdu Tianyou Silk Co. Ltd., Sichuan	

(vi) A copy of initiation notification along with the importers questionnaire was also sent to the various importers and users which were listed in the application as under:

Importers M/s. Mahalakshmi Enterprises Dist. – **VARANASI**	M/s. Hanuman EXIM Private Limited **VARANASI – 221 001**
M/s. Swastik Impex **VARANASI.**	M/s. Priti Silks **VARANASI.**

M/s. Shri Grotex Trade Links (P) Limited
VARANASI 221 001

M/s. Shri Niketan
VARANASI – 221001

M/s. Regent EXIM International Limited
NOIDA (UP),

M/s. Shakambari Color Lab.,
BHAGALPUR – 812 002.

M/s. Shree Salasar Balajee Impex Private Limited.,
BHAGALPUR.

M/s. Kailpar Engineering Co. Ltd.
MUMBAI - 400 020

M/s. Grover Silk Mills Pvt. Ltd.
MUMBAI – 400 093,

M/s. Motisons
MUMBAI – 400 009

M/s. Shah Silk & Fabrics (P) Ltd.
MUMBAI – 400 021.

M/s. Sree Rajendra Textiles,
BANGALORE – 560 002.

M/s. Bajaj Overseas,
BANGALORE - 560 002.

M/s. Sha Mangilal Shantilal & Co.
BANGALORE – 560 053.

M/s. Shri Niketan,
BANGALORE – 560 002.

M/s. Abhinandan Silk Creation
BANGALORE – 560 002.

M/s. Krishna Silk & Sarees
BANGALORE – 560 002.

M/s. Pushpa Silks F-7,
BANGALORE – 560 020.

M/s. Universal Textile Mills
BANGALORE – 560 095.

M/s. Mulberry Silks Limited
BANGALORE

M/s. Bajaj Overseas # 34A,
KOLKATA – 700 013

Users:

M/s. J.J.Exporters Ltd.
Kolkata – 700 019.

M/s A. P. Fashions,
Kolkata.

M/s Mehra Bandhu Fashions,
New Delhi- 110 017.

M/s H.V.Exports, F-3, N.D.S.E, -II
New Delhi- 110 049.

M/s. Ventures, #17, Bhawani Dutt Lane,
Kolkata – 700 073.

M/s. Aval Exports, #2/85,
New Delhi – 110 026.

M/s. Silk Creations Pvt. Ltd.,
Varanasi-221001.

M/s. Jain International, #523,
New Delhi – 110 092.

M/s. Pramod International, #15,
Kolkata – 700 016.

M/s. Vikas Exports, 1-B, Zamrudpur,
New Delhi – 110 048.

M/s. Pinx International Pvt. Ltd.,
Kolkata – 700 053.

M/s. SMI Exports Pvt. Ltd.,
New Delhi – 110 065.

M/s. Fashion House Incorporation,
New Delhi – 110 044.

M/s. Sundar Craft,
New Delhi – 110048.

M/s. Heirlooms,
New Delhi- 110 021.

M/s. Super needle Collections (P) Ltd.,
New Delhi – 110 048.

M/s. Kanika Exports,
New Delhi – 110 048.

M/s. Chetan Exports International,
New Delhi – 110 005.

M/s. Amet & Ladoue,
Kolkata-700 020.

M/s. Asha Silk exports,
Bangalore – 560 053.

M/s. Shalimar Exports,
Mumbai – 400050.

(vii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

(viii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods;

(ix) **** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(x) The investigation of dumping and injury covered the period from 1st April 2003 to 30th September 2004 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1st April 2000 to the end of period of investigation. (Also called Injury period).

(xi) The Authority sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of preliminary determination of dumping and resulting injury. The Authority conducted on the spot investigation of the domestic industry to the extent considered necessary.

(xii) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

Product under Consideration

2. The product involved in the present investigation is Silk Fabric of weight 20-100 gms per meter (hereinafter also referred to as subject goods). Silk fabric is produced from the basic raw material raw silk. Silk Fabric is classified under Heading 5007 of the Customs Tariff Act and generally gets cleared under Sub-heading 5007 9000. Applicants have claimed that the subject goods also get cleared under Sub-headings 5007 1000, 5007 20, 5007 2010 and 5007 2090 of the Customs Tariff Act. These Classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

Different qualities of silk fabrics with weight ranging from 20-100 gms generally are used for sarees, dress materials mainly for ladies scarves, stoles, shawls, duppattas, Men's wear, ties etc. Heavy varieties are mainly used as furnishings, bed covers, quilts etc.

Like Article

3. The applicants have claimed that goods produced by them are similar to those being exported from subject countries. There are no differences in the product produced

by them and the allegedly dumped product. The production process employed by the domestic industry and by the exporters also does not have any material difference. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject country. On the basis of the examination, the Authority notes that subject goods produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those imported from subject country. In view of the above the Authority holds that silk fabric produced by the domestic industry and those being imported from the subject country are like articles within the meaning of the Rules.

Domestic Industry

4. The application has been filed by the Central Silk Board, Bangalore along with the following co-operative / federation / associations of power loom silk fabric producers viz.

(i) The Mysore Power Loom Silk Manfacturers Co-operative Society Ltd., Bangalore, Karnataka.
(ii) M/s Karnataka Weavers Federation, Bangalore, Karnataka.
(iii) M/s Bangalore District and Bangalore Rural District Power-Loom Weavers Production and Sales Co-operative Federation Ltd., Dodda Ballapur, Karanataka.
(iv) M/s Silk Trade Association (Regd), Varanasi, UP.
(v) M/s Pure Silk Weavers Association, Surat, Gujarat.

The aforesaid co-operative / federation / associations of power looms expressly supporting the application account for more than 50 percent of total production of the like article produced by the domestic industry. The aforesaid co-operative / federation / associations of power looms producing silk fabric represent a major proportion of silk fabric produced in India in power looms. The Authority determines that aforesaid applicants satisfy the criteria of standing to file the application on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3)(a) and represent the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules supra.

B. Responses received:

Responses have been received from following exporters :

5. Sampled Exporters:

(i) Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd. – along with producers.
(ii) Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd. - along with producers
(iii) Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd. - along with producers
(iv) Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd. - along with producers
(v) Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.

6. Non-sampled Exporters – for individual treatment:

(i) Chongqing Wintus New Star Trade Development Ltd. (Chongqing Wintus) - along with producers.

(ii) Nanchong Success Textile Co. Ltd. (Nanchong Success) -
(iii) Jiangsu Hongbao Group Import & Export Co. Ltd. -
(iv) Chengdu Investment Import & Export Co. Ltd. (Chengdu Investment).
(v) Chengdu Kilter Silk Trade Corporation (Chengdu Kilter).
(vi) Guangdong Silique International Group Wintex Corpn. Ltd.
(vii) Guangdong Silique International Group Gold Silk Co. Ltd
(viii) Shanghai Silk Group Co. Ltd.
(ix) Zhejiang Mihuang Import & Export Co. Ltd.
(x) Huzhou Sentong Silk Weaving Co. Ltd.
(xi) Jiangsu Soho International Group Corp.
(xii) Guizhou Green Products Import & Export Co. Ltd.

7. Importers' Response:

Following importers furnished response:

(i) M/s Kailpar Engineering Co. Ltd., Mumbai
(ii) M/s Tekchand International, Delhi
(iii) M/s Universal Textile Mills, Bangalore

8. Other Responses:

i) **Indian Silk Export Promotion Council (ISEPC) , Mumbai** made following arguments:

(a) The proposed anti dumping duty on silk fabric is bound to act negatively not only on exports but also on local production.
(b) Anti-dumping duty levied on mulberry raw silk has not resulted into expected results.
(c) The local industry is not producing quality fabrics for export of quality silk garment production.
(d) The proposal will hit exporters of readymade garments.

ii) Delhi Hindustani Mercantile Association (Regd,), Delhi made following arguments:

Rearing of cocoon is taken as a cottage industry in certain belts of our country, which is a main or supplemental source of livelihood for thousands of Indian families belonging to weaker section of society.

The silk weaving units are also run on small scale basis which are mainly concentrated in centers like Gujarat, UP, Karnataka, Bihar, J&K, Tamilnadu and Andhra Pradesh.

It is a matter of serious concern that following the trade liberalization, there is a planned attack on this traditional domestic small-scale industry of India mainly by the import of cheap Chinese silk fabric. This has alarmingly brought down the demand for Indian silk fabric and our indigenous silk manufacturing units have been finding it very difficult to vie with this large scale unethical silk import from China. This has put a big question mark before the survival of our silk industry and lakhs of workers associated with this industry are facing the threat of being rendered unemployed. Anti-dumping duty on the import of Chinese silk fabrics should be imposed immediately.

iii) Silk & Textile Mercantile Traders Association (Regd), Delhi made following submissions:

The small and poor underprivileged weavers solely depend on silk weaving in India. Large scale of imports of silk fabric from China at prices even lower than the yarn cost are being dumped in India.

Early action may be taken to impose anti dumping duty on imports of Chinese silk fabric so as to safeguard and protect the interest of deprived small and poor weavers in India.

9. Arguments of China Chamber of Commerce for Export & Import of Textiles (CCCT) and exporters

Grossly deficient application of domestic industry and Inadequacy of Information - Some of the exporters and CCCT have advanced the arguments that the investigation should not have been initiated as the application filed by the domestic industry is grossly deficient in following respects:

Identity of the domestic producers not given in the petition – The petition has been filed by the Associations / Co-operatives. The names of the constituent members of the associations/federations who are producers of the subject goods has not been given.

Volume and value of domestic production of the like product accounted for by the petitioners is not given – As per Rule 5(3), the determination of the share of the petitioners in total production has to be based on actual production and not on some theoretical assumption. In the petition, production is based on some theoretical assumption.

No evidence has been given with regard to dumping – The constructed normal value claimed by petitioners is based on raw material cost as per ISA Newsletter, conversion cost & SGA as per domestic industry's experience plus a reasonable profit margin. It is not clear what is the basis of prices in the ISA, whether spot prices or contract prices. The domestic industry's conversion cost and SGA have not been disclosed. Authority should have ensured the accuracy of the data as per Rule 5(3).

There is no evidence of injury given in the petition – As per the petition, information has been given regarding installed capacity and capacity utilization, production quantity and sales volumes. The petition claims closure of 40% of the looms in 2002-03 and 20% of the looms switching over to Viscose and other fabrics. The petition does not contain information with regard to other indices like opening and closing stock, cost of sales, profit/loss, investments, net worth, capital investment for expansion, employment etc.

No evidence presented with regard to causal link – The application does not contain information regarding causal link. There is a general theme in the application that the imports from China has increased and any increase in imports shall automatically mean that they are dumped imports and whatever suffering the Indian domestic industry undergoes has been attributed to the increased imports from China.

No costing data has been given in the petition – The Authority has initiated the investigation based on an incomplete application.

Imported product information – Category and uses of subject goods have not been given in the application

Indian Industry Profile – The number of power loom weavers involved has not been furnished. What is the loom capacity and how they are considered small in size has not been mentioned in the petition? Whether there are no other associations of silk weavers in the country? What about silk power loom in public sector?

Excessive confidentiality has been claimed in the petition – It has been claimed that the NCV of the petition does not give details of several information.

CCCT has also given comments as regards the causal link of the alleged injury suffered by domestic industry, particularly, the following:

(i) Change in production of silk fabric in India and the reasons thereof.
(ii) Export sales of value added products from India.
(iii) Viscose and polyester have taken some of the silk market share and as stated in the petition, 20% of looms switched over from silk to viscose.
(iv) Increased imports as per official statistics are shown from 2002 onwards when the item was allowed free import under OGL. Prior to that the market for silk fabric was restricted one.

CCCT has stated that the present investigation has been wrongly initiated as the petition lacks accurate and adequate data to establish dumping, injury and causal link. As per CCCT there is no dumping of subject goods by the Chinese exporters and the injury, if any, suffered by the domestic industry is not due to the alleged dumping. They have sought termination the investigation as per provision of Rule 14(b), (c) and (e).

10. Examination of initial arguments on behalf of exporters / CCCT:

(a) As regards the argument made on behalf of the exporters that the information provided in the application for initiation of investigation was inadequate, the authority has observed that the application has been filed by the cooperatives / federation/association of silk power loom weavers in the country. The nature of industry is such that the record maintenance is not of such a standard so as to make available precise information on every injury parameter. The industry is fragmented and the power loom weavers are scattered in the various regions of the country who produce the subject goods in the traditional style. Due to the scarcity of resources, rural background and education level of the entrepreneurs, availability of data has been a constraint. The application of the producers was coordinated by the Central Silk Board (CSB) who is concerned with the development and growth of silk industry in the country. Central Silk Board functions under the Ministry of Textiles of the Government of India. One of the functions of CSB is to collect statistics about the silk industry. The data compiled by CSB being an official source, has been considered to be reliable. The application has been filed by those associations/cooperatives where silk power looms are actually functional and therefore, the application has been considered to be filed on behalf of the producers of the subject goods. The application contained details of power looms in Andhra Pradesh (about 600 looms). These power looms were, however, not the applicants in this investigation. The number of power loom weavers who are members of the

applicant associations/cooperatives/federations runs into thousands. It will be impractical to name individual producers in the application and the requirement in the rules also does not require the same in the case of fragmented industries having exceptionally large number of producers. In the given circumstances, the applicant associations etc. have been considered to represent the domestic producers and their collective output represents more than 50% of the total production of the like product produced by the domestic industry. The initiation is therefore, in accordance with Rule 5(3). In fact Article 5.2(i) of the AD Agreement allows associations of domestic producers to make the application for anti dumping investigation.

(b) The estimate of production of the domestic industry as given in the application is based on the information about the estimated level of production by the domestic industry. Considering the large number of power loom weavers in the cottage sector and the nature of the industry, the data regarding production cannot be precise. It has to be based on some estimation in such a case.

(c) The claim of the petitioners as regards dumping was based in the application on the constructed normal value. This was based on a reasonable estimate of the raw material price as per an international journal ISA Newsletter. The conversion cost and SGA were on the basis of domestic industry's experience plus reasonable profit margins. The authority notes that the application contained sufficient information regarding estimation of the normal value. Based on the estimates given, the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application was satisfied as per Rule 5(3)(b).

(d) The application contained information regarding parameters such as closure of looms, capacity utilization, increase in imports, decline in the production, decline in sales volume, decline in sales realization, loss of contracts, losses suffered by the industry. With the closure of 30,000 looms, the loss of employment was evident. The authority had considered it appropriate to initiate the investigation based on the information/data as was reasonably available to the applicant at the time of making the application and after ensuring the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application as per Rule 5(3)(b).

(e) The application contained the information regarding causal link indicating pima facie injury due to the increased dumped imports from China. The domestic industry had been experiencing the effects of the increased imports of silk fabric from China at low prices. The authority found the evidence regarding causal link of injury to the domestic industry furnished in the application to be adequate as there was evidence of closure of looms, loss of production, loss of employment due to the dumped imports of subject goods from China at abnormally low prices.

(f) As regards submission of costing information as per part VI of the application proforma by the domestic industry the Authority had noted that the domestic industry was having thousands of producers and to have precise data was found impractical. However, a reasonable estimate of cost of production had been furnished in the application by CSB. Having regard to the fragmented and disorganized industry of power loom weavers, a reasonable estimate of cost of production had been made which was considered adequate.

(g) As regards excessive confidentiality exercised by the petitioner, the domestic industry subsequently provided the following to be placed in public file:

(i) Summary of import statistics provided in the petition.
(ii) Name and addresses of the user association.
(iii) ISA Newsletter.

C. Sampling of Exporters/Producers:

11.1 In response to the initiation notification, it was informed by the China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles (CCCT) that a large number of exporters/producers from China may cooperate in this investigation and that the authority may be required to use sampling as per Article 6.10 of the Anti Dumping Agreement.

11.2 In order to enable the authority to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, exporters/producers, CCCT were requested to make themselves known and to provide information as specified in the sampling questionnaire. The Authority also kept the BOFT, Ministry of Commerce of China informed about the process of selection of sample.

11.3 Thirty exporters in the PRC replied to the sampling questionnaire and provided the requested basic information.

11.4 The selection of the sample of exporters was made in consultation with and with the consent of the CCCT, representing the interests of the Chinese exporters of silk fabric, and the authorities of the PRC. The sample of the exporters was established by the authority to limit the examination to a reasonable number of exporters/producers so as to cover the largest percentage of volume of exports that can reasonably be investigated as per Article 6.10 of the Agreement. Accordingly, the authority selected seven exporters in the sample in the descending order of the volume of their exports. These included top four exporters, who are not producers themselves of subject goods, and top three producer exporters. The exports of these seven exporters/producers included in the sample accounted for 54.13% of total exports of 117 million meters of silk fabric from China(this export figure was informed by CCCT). Following exporters were selected in the sample:

(i) Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd.
(ii) Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd.
(iii) Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd.
(iv) Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd.
(v) Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.
(vi) Sichuan Research Institute of Silk Industry
(vii) Sichuan New Century Industries Co. Ltd.

11.5 The sampled exporters were advised to submit complete response on exporter's questionnaire and MET questionnaire within thirty seven days from the date of communication which was also sent to CCCT and the Chinese authorities.

11.6 Subsequent to the communication of selection of exporters to CCCT and individual exporters, Sichuan Research Institute of Silk Industry and Sichuan New Century Industries Co. Ltd. informed their inability to cooperate in the investigation. CCCT requested for inclusion of other exporters in place of the above two exporters. Their request could not be agreed to by the authority as the other exporters suggested by CCCT was not next in the order of overall ranking in the descending order of exports. Moreover, the authority had already given sufficient opportunity to CCCT and exporters as regards the process of selection for sampling. The exporters included in the sample had undertaken to fully cooperate with the authority, though after selection, two had backed out. Therefore, the remaining five exporters remained in the sample and their exports (based on the responses received) accounted for 50.63% of total exports of subject product from China.

D. Normal Value, Export Price and Dumping determination

12. Market Economy Treatment

12.1 Normal value determination for China

China PR, has been treated as a Non-Market Economy Country in several investigations by India and other members of WTO conducting anti dumping investigations and therefore normal value in respect of exporters is to be determined in accordance with the Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. It has been claimed by the domestic industry that PR China is a non-market economy and normal value may be determined as per provisions of the Anti Dumping Rules.

12.2 Legal provisions in India

Para 7and 8 of Annexure I of the Anti dumping rules contain the provisions of determination of normal value for non-market economy countries.

12.3 Selection of an appropriate Market Economy Third Country (Analogue Country) for Normal Value determination

The authority examined the possibility to select an appropriate market economy third country (analogue country) for the purpose of determining Normal Value for exports from Non-Market Economy country in accordance with para 7 of Annexure 1 of Anti Dumping Rules. On the basis of information furnished by the domestic industry, the authority has found that more than 90% of total production of silk fabric in the world is accounted for by India and China, with China's share being approximately 78% and that of India about 14%. Due to the overwhelming concentration of production of silk fabric in the two countries and other unique features, there is no other country which can be considered as an appropriate market economy third country as per para 7 of Annexure 1 of Anti Dumping Rules. A note giving details of production of silk fabric by various countries furnished by the domestic industry was sent for information of all concerned exporters and CCCT. In the absence of an appropriate market economy third country, the authority may determine Normal Value in terms of second part of paragraph 7 i.e. based on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the

like product, wherever the exporters/producers may not be found to be eligible for Market Economy Treatment in accordance with paragraph 8 of Annexure 1 of Anti Dumping Rules. The authority invited comments from CCCT and concerned exporters in this regard giving thirty seven days time from the date of the communication in this regard.

12.4 Rebuttal of presumption of non-market economy country

During further examination, the domestic industry claimed that the Chinese producers/exporters in the present investigation cannot be granted market economy status in view of the fact that the silk production and trade is not free from State interference. According to them, as the fact of State interference is admitted, the question of granting MET to any of the exporters/producers does not arise. In support of their argument, the domestic industry has drawn attention to the Protocol on Accession of PRC wherein P R China has admitted State control over the silk cocoon prices. Paragraph 9 of the Protocol on the Accession of PRC, as furnished by the domestic industry refers to price controls, which contains a list in Annex 4. Silk Worm Cocoons appear under Serial No.5 of the said Annex 4 under the list Products subject to Government Guidance Pricing. As per the domestic industry, Cocoon costs constitute about 80% of the price of raw silk. At the same time, silk yarn constitutes about 65 to 70% of the price of silk fabric. Therefore, Cocoon prices constitute about 50-55% of the price of silk fabric.

12.5 Ministry of Commerce of PRC and CCCT gave comments in response to the above claim of the domestic industry that MET cannot be granted to the Chinese silk fabric producers/exporters on the ground that cocoon price is controlled by State. It has been argued inter alia that:

a) the major input of the silk fabric producers in China is raw silk rather than cocoon and the price of raw silk, since 2001, has been no longer subject to Government guidance.

b) The Government Guidance Pricing as per Annex IV of the Protocol applies to fresh cocoon only and not to dried cocoon.

c) Fresh cocoon is not the raw material for manufacture of silk fabric. Prices of dried cocoon in the domestic market of China as well as its downstream product raw silk have no longer been subject to Government Guidance Pricing.

12.6 The authority has examined the above arguments. Though the raw material for producing silk fabric is raw silk, the state control of cocoon trading has significant effect on the price of raw silk as cocoon cost constitute about 80% of the silk yarn price and silk yarn constitute about 65-70% of the price of silk fabric. Therefore, cocoon price constitute approximately about 50 to 55% of the price of silk fabric which is quite significant. The issue of state control over fresh cocoon or dried cocoon may not be relevant here. This is particularly in view of the fact that no interested party has given evidence to demonstrate that there is no linkage between the price of fresh cocoon and dried cocoon or that the price of the latter is not influenced by the price of fresh cocoon. The authority therefore, is of the view that for the preliminary determination, the claims of sampled exporters / producers to grant market economy treatment may not be

considered due to the fact that the cost of major raw material raw silk is affected by the Government Guidance Pricing of cocoons which constitute a significant part of the cost of raw silk. Therefore, the normal value may be determined as per para 7 of Annex I of the Anti Dumping Rules on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product or any other reasonable basis.

12.7 For determining the price actually paid or payable in India, the authority has considered the price of major raw material raw silk on the basis of silk yarn price prevailing during the period of investigation in India, which has been obtained from the silk yarn exchange. The conversion charges, financial cost, factory overheads, selling, general and administrative expenses have been considered on the basis of domestic industry's cost after reasonable adjustments. A reasonable profit margin of ***% has been added to arrive at the normal value.

13. Cooperation

From amongst the selected exporters, responses to the exporter's questionnaire and MET questionnaire were received from the following exporters/producers:

(i) Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd.
(ii) Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd.
(iii) Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd.
(iv) Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd.
(v) Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.

14. Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd. submitted exporter's questionnaire and MET questionnaire response along with five supporting producers. As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 45 types or PCN type of subject goods. As stated in the preceding paragraph, the authority has held that for the preliminary determination, the claims of sampled exporters / producers to grant market economy treatment may not be considered due to the fact that the cost of major raw material raw silk is affected by the Government Guidance Pricing of cocoons which constitute a significant part of the cost of raw silk. Therefore, the normal value may be determined as per para 7 of Annex I of the Anti Dumping Rules on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product or any other reasonable basis.

For determining the price actually paid or payable in India, the authority has considered the price of major raw material raw silk on the basis of silk yarn price prevailing during the period of investigation in India, which has been obtained from the silk yarn exchange. The conversion charges, financial cost, factory overheads, selling, general and administrative expenses have been considered on the basis of domestic industry's cost after reasonable adjustments. It is noted that for producing various types of silk fabrics, the time factor is an important element for determination of cost. The authority has

computed per hour cost for all the elements of cost to determine the cost for silk fabric produced of different gram mages and of different varieties. The time taken to produce various grammages and varieties of silk fabric, has been considered on the basis of prevalent norms. A reasonable profit margin of ***% has been added to arrive at the normal value. Based on the above, the authority has arrived at different normal values for silk fabric of different types and grammages.

15. **Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd.** submitted exporter's questionnaire and MET questionnaire response along with two supporting producers. As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 18 types or PCN type of subject goods. Normal value has been determined as explained in paragraph 14 above.

16. **Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd.** submitted exporter's questionnaire and MET questionnaire response along with two supporting producers. As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 15 types or PCN type of subject goods. Normal value has been determined as explained in above paragraph. Normal value has been determined as explained in paragraph 14 above.

17. **Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd.** submitted exporter's questionnaire and MET questionnaire response along with two supporting producers. As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 12 types or PCN type of subject goods. Normal value has been determined as explained in paragraph 14 above.

18. **Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.** submitted exporter's questionnaire and MET questionnaire response. As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 24 types or PCN type of subject goods. Normal value has been determined as explained in paragraph 14 above.

Export Price:

19. **Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd.**

As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 45 types or PCN type of subject goods. Information regarding sales price structure for exports to India furnished in Appendix 3A of Questionnaire has been considered which shows adjustment on account of commission, packing, inland freight, insurance, storage and handling, inspection, overseas freight, overseas insurance, administrative charges paid to banks and credit cost. The authority has considered the export price and adjustment as furnished by the exporter for the preliminary findings subject to verification. The net export price at ex-factory level has been arrived for the different PCN /types after making above adjustments.

20. Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd.

As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 18 types or PCN type of subject goods. The exporter has not shown details of various adjustments for sales price structure as per Appendix 3A i.e. charges before FOB and after FOB. On being pointed out to furnish this information, the exporter has informed that the adjustment such as packing, inland freight, storage, handling are paid by the fabric producer who sells its product to NANTEX since NANTEX directly order the producer to arrange the shipment. All these costs are included in NANTEX's purchase price when it buys the product from Chinese producer. The authority has considered the response of the producer and has made necessary adjustments wherever information has been provided and in respect of other items, an adjustment considered reasonable has been made. The authority has considered the export price and adjustment for the preliminary findings subject to verification.

21. Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd.

As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 15 types or PCN type of subject goods. Information regarding sales price structure for exports to India furnished in Appendix 3A of Questionnaire has been considered which shows adjustment on account of inland freight, ocean freight, insurance, bank charge and inspection charge. The authority has considered the export price and adjustment as furnished by the exporter for the preliminary findings subject to verification. The net export price at ex-factory level has been arrived for the different PCN /types after making above adjustments.

22. Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd.

As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 12 types or PCN type of subject goods. Information regarding sales price structure for exports to India furnished in Appendix 3A of Questionnaire has been considered which shows adjustment on account of commission, inland freight, overseas transport/port handling charge, insurance, charge of form A, credit cost, customs broker fee, bank charge and inspection charge. The authority has considered the export price and adjustment as furnished by the exporter for the preliminary findings subject to verification. The net export price at ex-factory level has been arrived for the different PCN /types after making above adjustments.

23. Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.

As per the questionnaire response, the exporter had made exports of *** meters of subject product to India. The exports were of 24 types or PCN type of subject goods. The exporter has shown adjustment in respect of inland freight, overseas freight and insurance only in Appendix 3A, however, no details of expenses/adjustment has been given in respect of inland insurance, storage, handling, shipping charges, clearance and

handling, bank charges and inspection etc. The exporter was pointed out to give this information, however, the same has not been furnished. The authority has made appropriate adjustments based on information received from other exporters. The net export price at ex-factory level has been arrived for the different PCN /types after making above adjustments subject to verification.

Dumping Margin:

24. The Authority has worked out a dumping margin for each of the different types/PCN of the subject goods by making a comparison between the normal values and export price of the different types/PCN at ex factory level. This comparison was based on the constructed normal value of each type/PCN of the subject goods for which a comparable type/PCN of the subject goods was exported to India during the POI. Thus, weighted average overall dumping margin was determined by computing the dumping found on each type without zeroing negative dumping found on individual types. The comparison showed the existence of dumping of the subject goods by the exporters during the POI. The weighted average dumping margin, expressed, as a percentage to the export price has been determined as under:

Producers/Exporters	DM %
Zhejiang Cathaya Intl. Co. Ltd.	115.74
Nanjing Textiles Imp. & Exp. Corpn Ltd.	80.48
Zhejiang G&F Foreign Trading Co. Ltd.	102.77
Sichuan Silk Fabrics Import & Export Group Co. Ltd.	57.42
Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.	115.73

Dumping Margin in respect of non-sampled exporters

25. The following exporters who had made themselves known in response to the sampling questionnaire but were not included in the sample, have been given a weighted average dumping margin of the dumping margin determined for aforesaid sampled exporters. The weighted average dumping margin is 107.91%.

S.No.	Name of Exporter	Province
1	Longchang Yinhua Silk Co.	Sichuan
2	Jiangsu Hongbao Group Im. & Ex Co. Ltd.	Jiangsu
3	Chongqing Boshan Silk Co. Ltd.	Chongqing
4	Anhui Silk Co. Ltd.	Anhui
5	Xinyuan Cocoon Silk Group Co. Ltd.	Jiangsu
6	Huzhou Sentong Silk Weaving Co. Ltd.	Zhejiang
7	Shanghai Silk Group Co. Ltd.	Shanghai
8	Zhejiang Mihuang Import & Export Co. Ltd.	Zhejiang
9	Deyang Bailong Lifeng Silk Fabric Co. Ltd.	Sichuan

10	Jiangsu Soho International Group Corp.	Jiangsu
11	Guangdong Silique International Group Gold Silk Co. Ltd.	Guangdong
12	Guangdong Silique International Group Wintex Corp. Ltd.	Guangdong
13	Chengdu Investment Imp. & Exp. Co. Ltd.	Sichuan
14	Chengdu Kilter Silk Trade Corporation Ltd.	Sichuan
15	Chongqing Wintus New Star Trade Development Ltd.	Chongqing
16	Guizhou Fortune Green Products Import & Export Co. Ltd.	Guizhou
17	Qindao Hirun Investment Group Co. Ltd.	Shandong
18	Zhejiang Jiaxing Silk Imp. & Exp. Co. Ltd.	Zhejiang
19	Sichuan New Rise (Langzhong) Silk Co. Ltd.	Sichuan
20	Sichuan New Rise Imp. & Exp. Co. Ltd.	Sichuan
21	Sichuan Yate Silk Import/Export Co. Ltd.	Sichuan
22	ChenFeng (Jiangsu) Clothing Co. Ltd.	Jiangsu

Following three exporters who had declined to cooperate in the investigation after responding to the sampling questionnaire have been treated as non-cooperative and excluded from the above list:

(i) Chongqing Golden Silk Co. Ltd.
(ii) Sichuan New Century Industries Co. Ltd.
(iii) Sichuan Research Institute of Silk Industry.

Individual Treatment

26. Twelve exporters mentioned in paragraph 6 earlier have requested for individual treatment. The authority noted that the exports of the five sampled exporters/producers examined in the sample account for 50.63% of exports of 117 million meters of total exports (as per CCCT figures). The authority finds that individual examination of the twelve exporters would be unduly burdensome and may prevent timely completion of investigation. For the preliminary findings, the authority does not propose to recommend individual dumping margins.

Other Exporters

27. In respect of other exporters who have not cooperated in response to the initiation, the authority proposes to adopt the highest dumping margin of cooperative exporters.

E. INJURY AND CAUSAL LINK

Injury to the domestic industry

28. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

"Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that:

(a) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

(b) While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

29. The injury analysis is carried out in terms of para (iv) of Annexure II of the Anti-dumping Rules, the relevant excerpts of which are reproduced below:

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

30. The Authority is required to examine all the parameters specified under para (iv) above However, it is also a settled position that all parameters need not necessarily

show injury to the domestic industry. It is the overall evaluation of the factors, which would enable the Authority to take a view whether injury exists in a particular case, or not. In this context, it is extremely important to understand and analyze the nature of the industry and also the product under consideration.

31. The Authority has closely examined and observed that the nature of domestic industry in the present case is quite different as compared to the typical domestic industry in various other cases. This industry is in the nature of cottage industry and is scattered one comprising of thousands of tiny units. The subject goods in the present case are manufactured by the extremely small and tiny units which are mainly run by individual families. These units do not maintain nor are they required to maintain accounts under various Indian laws as is the case for the organized industry. The manufacturing as well as sales operations are generally undertaken by poor and illiterate families who have been in this vocation for generations and have acquired and developed the skills through inheritance. It is noted that in view of the nature of operations and the size of the units, it is not possible to obtain exact details from the domestic industry as required in the usual manner regarding the various injury parameters as obtained in other cases from the industry in the organized sector. The above nature of the industry has also been observed by the Designated Authority during the course of verification.

32. The Authority notes that the scope of Annexure II to the Anti-dumping Rules is very wide in as much as it also covers situations and eventualities where complete and meticulous data may not be available to the Authority for assessing injury to the domestic industry. The Authority also notes that there is no restriction or compulsion that the information relating to injury assessment must necessarily pertain to individual components constituting domestic industry. If sufficient data and information is available to the Authority at the aggregate level, there is no legal requirement to get the information of individual units even though in practice the Authority normally considers it appropriate to take into account the information of the individual units. Considering the nature and composition of the domestic industry and keeping in mind the legal requirement, the Authority proposes to evaluate injury on the basis of available information at an aggregate level.

33. Under the circumstances, the Authority proposes to evaluate the injury on the basis of information made available by the Central Silk Board under the Ministry of Textiles, which in the opinion of the Authority is reliable and sufficient to reach determinations as contemplated under para (iv) of Annexure-II. The information collected from the Central Silk Board gives sufficient material for the Authority to arrive at cogent and realistic analysis with regard to the state of the domestic industry.

Volume of Imports

34. The following table clearly shows that the share of Chinese imports as percentage of total imports as reported in DGCI&S statistics has increased from 36% in April 00-March 01 to 97% during the period of investigation. It is also noted that imports from China during the POI have increased manifold as compared to the base year April 2000-

March 01. It indicates that the imports from China have been able to capture a higher market share. The Authority also notes that the imports from China have been under reported in DGCI&S statistics. The imports as reported by China Chamber of Commerce during the period of investigation are 117 Million square meters or 5850 MT (annualized figure of 3900 MT). It is clear from the figures reported by CCCT that the imports have in fact risen by 53% during the period of investigation (annualized) as compared to the preceding year.

DGCI&S Imports	Apr 00 to Mar 01	Apr 01 to Mar 02	Apr 02 to Mar 03	POI - Apr 03 to Sep 04	POI – Annualized
China (MT)	124	811	2555	3440	2294
Total Imports (MT)	346	1165	2929	3543	2362
% Share	36%	70%	87%	97%	97%

The authority has also consulted the data regarding exports of silk fabric from China as per World Trade Atlas as under:

Exports of Silk Fabric from China (HSN 5007 2011 unbleached or bleached woven fabric of Mulberry Silk – Qty. in meters)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
World	104,372,481	100,984,242	131,395,482	165,033,508	213,811,686
India	1,448,613	10,786,081	41,051,422	67,652,080	96,491,270

The authority notes that the imports of silk fabric from China has shown an increase of 6560% during the year 2004-05 over the year 2000-01. The increase is 4570% during the year 2003-04 over the year 2000-01

Production, capacity, capacity utilization and sales Volume

35. The Authority notes that the fragmented silk fabric industry in India is fairly large and is scattered into extremely small units of power loom normally run by individual families. The information regarding the number of power looms operating in India has been made available by the Central Silk Board. The effect of volume of dumped imports on domestic production and domestic sales of silk fabric can also be examined with respect to the number of power looms operating in India over the investigation period. The production and sales of the silk fabric is directly proportional to the number of power looms set up and run during a particular year. As per the statistics made available by Central Silk Board, the number of power looms operational in India have been forced to close down and the number of operating power looms have declined from a level of 75000 in the year 2000-01 to a level of 30000 power looms during the period of investigation forcing majority of the constituents of domestic industry for closure. A large and sizable population engaged in this industry has also been rendered without any occupation. The statistics clearly show that the domestic production and domestic sales

of the Indian producers have also drastically come down during the period of investigation as compared to the base year 2000-01 whereas at the same time the imports from China have increased manifold as much as 18.5 times from a level of 124 MT in 2000-01 to 2294 MT (annualized imports) during the period of investigation. As per the figures reported by CCCT, the imports in India have increased by more than 31 times over the investigation period. It clearly indicates that the domestic production and sales have declined significantly during the investigation period resulting in a direct injury to the domestic industry. Resultantly, capacity and its utilization have been adversely affected causing injury to the domestic industry.

Market Share

36. The Authority notes that as the number of power looms working in India has come down, the production and sales volume of the domestic industry has also come down over the investigation period. Resultantly, the market share of the domestic industry has also come down over the investigation period and injury is caused to domestic industry. This conclusion is also supported by the fact that the imports from China have increased by 18.5 times over the investigation period (124 MT in 2000-01 to 2294 MT in period of investigation as per DGCI&S statistics). As per the figures reported by CCCT, the imports in India have increased by more than 31 times over the investigation period.

Price undercutting, price underselling and price depression

37. For the purpose of price effect of imported subject goods on the domestic prices, the Authority has considered the selling prices on the basis of the information made available by CSB. These prices have then been compared with the import prices for various types for which the information had been made available by the cooperating exporters. On a comparison, it is noted that the import prices are substantially lower than the estimated selling prices of the domestic industry in India. The price undercutting was found in the range of 5 to 45% in respect of some varieties of Crepe and Georgette silk fabric most commonly produced by the domestic industry. The price undercutting is therefore evident to the extent data is available.

While making analysis with respect to price underselling the Authority determined non-injurious price on the basis of the optimum cost of production inclusive of cost towards silk yarn, conversion cost, selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit. This has been compared with the landed value of imports in respect of the cooperative exporters. The information regarding the abovementioned cost components is obtained from Central Silk Board. The authority found that there was significant price underselling as a result of the dumped imports. The price underselling ranges from 29% to 53% in Crepe, 42% to 56% in Georgette, 40% to 74% in Chiffon, 18% to 95% in Habutai and 2% to 52% in other varieties during the period of investigation.

The authority has also consulted the data reported in World Trade Atlas regarding the exports of silk fabric, values and average price and finds that the value of exports and average price of silk fabric exported from China is as under:

Value of Exports of Silk Fabric from China (HSN 5007 2011 unbleached or bleached woven fabric of Mulberry Silk – Value in million US$)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
World	274.65	242.683	249.106	301.669	431.639
India	3.225	19.781	58.047	92.929	163.694

Average price of exports of Silk Fabric from China (HSN 5007 2011 unbleached or bleached woven fabric of Mulberry Silk – Price in US$)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
World	2.63	2.4	1.9	1.83	2.02
India	2.23	1.83	1.41	1.37	1.7

From the above data also it is found that there was a steep reduction in the export price of silk fabric from China in the year 2003-04, which covers the twelve months of the POI, in comparison to the year 2000-01. The authority found that the price depression of domestic industry's selling prices was evident during the injury period as a result of the declining prices of imports of silk fabric from the subject country.

Employment and Wages

38. As stated above, the number of power looms working in India has come down drastically from 75,000 in 2000-2001 to 30,000 during the period of investigation. The Authority during the course of verification of domestic industry also observed that a large number of power looms have closed and/or remained idle. The direct employment in the power loom is generally of 3 persons per loom considering a composite unit of twisting and weaving. The closure of the large number of power looms is a clear and direct indicator of loss of employment in this vital traditional industry. Under utilization of existing capacity has resulted in the closure of many upstream and downstream activity like twisting, processing, printing etc. rendering many people jobless.

The effect on wages can also be seen with respect to reduction in the number of operating power looms over the injury investigation period. If the employment has been negatively affected, the wages / earnings per family of the people engaged in the production of silk fabric are necessarily adversely affected.

Growth

39. It is noted that the production, sales, employment and market share have declined over the investigation period. It is concluded that the domestic industry has been injured with respect to growth.

Ability to raise capital investment

40. The fact that more and more units are closing down due to financial constraints is clearly an indicator of the fact that the ability of the domestic industry to raise capital investment has been severely affected.

Magnitude of Dumping margin

41. The dumping margin is significant ranging from 57.42% to 115.74%.

Profitability, return on investment and cash flow

42. The Authority notes that the selling price of a product is an important factor for the determination of level of profitability, return on investment and cash flow. As stated above, the low import prices (below cost of production) have adversely affected the domestic prices. Since the costs of production of the domestic industry has in fact gone up, an inference of adverse effect on profitability, return on investment and cash flow can be appropriately drawn in the facts and circumstances of the case.

Stock

43. No specific data is available regarding the stocks of the domestic industry. The analysis of stock in the present case is not relevant as most of the production of silk fabric is on job-work basis.

Productivity:

44. It is noted that sufficient information has not been available to the Designated Authority for a proper evaluation of this factor per se. However, considering the nature of the industry, the Authority is of the view that there is no reason to believe or even suggest that the productivity of the power looms could be the reason for injury to the domestic industry. In any case, in the absence of relevant information, the Authority does not consider it a relevant factor for injury analysis.

F. CONCLUSION ON INJURY

45. The authority has noted that there has been a significant increase in the imports of subject goods from subject country. The quantum of imports from the subject country increased during the POI by 1850% in comparison to the year 2000-01. The dumped imports represent a significant proportion of the domestic demand and has registered a significant growth. The volume effect of the dumped imports is evident. As regards the price effect, the authority has found a pronounced effect as the landed value of imports of the dumped product is significantly lower than the non-injurious price of the domestic industry. To the extent data is available, the authority has also found price undercutting of significant degree. The authority also finds profound injury in the closure of large number of looms as a result of dumped imports from subject country. The closure of

substantial number of about 45,000 looms from the year 2000-01 up to the year 2004-05 by itself is a significant indicator of injury. Linked to the closure of power looms is the fact of loss of employment. Generally one power loom gives employment to three workers. There is also indirect employment provided to the workers associated with the linked activity of dyeing, processing etc. The closure of large number of looms has a direct impact on the availability of employment. The injury is pronounced in the form of loss of employment or in the source of livelihood earning of the self-employed weavers. The closure of large number of looms has resulted in the drastic reduction in production of silk fabric in the power looms with the consequential decline in the sales by the domestic industry. Even in the absence of specific quantities of sales, the authority is reasonably convinced about the decline in production, sales, and production capacity. The authority's views are supplemented by the verification visit of some of the power loom clusters. As regards some of the parameters viz. wages, return on investment and cash flow, the authority has not been able to give specific findings in the absence of appropriate data. Similarly, in respect of stocks, the authority could not reach to any specific conclusion in the absence of appropriate data. However, these factors are not considered decisive in the face of above factors discussed in detail by the authority, which are of overwhelming and decisive importance in this investigation. The authority, therefore, concludes that the domestic power looms silk fabric industry has suffered material injury.

Causal link

46. In order to reach its conclusions on the cause of the injury suffered by the domestic industry and in accordance with Article 3.5 of Agreement of Anti Dumping and as per para (v) of Annexure II under Rule 11under Customs Tariff Act as amended, the Authority examined the impact of all known factors and their consequences on the situation in that industry. Known factors other than the dumped imports, which could at the same time have injured the domestic industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.

Effect of dumped imports

47. Significant increase in the volume of dumped imports has resulted in significant decline in production of the domestic industry. In the face of large scale imports of dumped imports from subject country, the weavers were forced to close down or to switch over to weaving of other fabrics. The closure of large number of silk weaving power looms is attributable to the dumped imports of subject goods from subject country. As regards some of the arguments regarding switching over of power loom weavers to other kinds of fabric like viscose etc. the authority is of the view that the weavers were forced to switch over to other types of fabric due to non-availability of orders for silk fabric. The authority finds that the closure of power looms, consequential loss of employment to the weavers and others engaged in allied activities is as a direct consequence of the significant increase in dumped imports of subject goods. This has resulted in the loss of employment and financial losses to the domestic industry as many of these weavers had to sell off their looms for finding alternate source of livelihood.

Consequently, growth in production, sales and capacity utilization of the domestic industry suffered as a result of increased imports of subject goods from subject country.

Significant imports of dumped goods at a price less than the cost of production of the domestic industry resulted in significant losses. The price undercutting caused by the dumped imports is a direct consequence of the low price of the imported subjected goods. The domestic industry could not raise its selling price to a level commensurate with its cost of production and prevented price increase which otherwise would have occurred. The price at which the imported subject goods were available in the market could not be matched by the domestic industry as this would not have realized the cost of main raw material. Resultantly, the domestic industry suffered losses and large number of power looms were forced to close down.

Significant price underselling and substantial increase in volume of dumped imports contributed to the closure of looms, losses and loss of employment.

48. Effect of Other factors

(a) Performance of Other Domestic producers:

The applicant domestic industry comprised the existing power loom weavers who are at present producing silk fabric. There are no other significant faction of the domestic industry and therefore, competition with the other producers cannot be a cause of injury.

(b) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

The Authority notes that considering the nature of the industry, it is not reasonably feasible to estimate the exact demand in the country. However, the authority does not weigh this factor to be of great significance due to the fact that the dumped imports have increased significantly and there is no information or evidence to believe that there is a change in the demand or pattern of consumption.

(c) Volume and Prices of imports not sold at the dumped prices

According to the available information, the total import volume of the product concerned originating in countries other than subject country are insignificant and therefore, they are provisionally considered not to have had any impact on the domestic industry.

(d) Trade Restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

The authority notes that the imported product is sold to meet the similar commercial grades and specification as domestically produced subject goods. It is further noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There are no trade restrictive practices evident.

(e) Developments in Technology, Export performance and productivity of the Domestic Industry

On the basis of the examination of the domestic industry, the authority notes that the domestic industry is not handicapped due to deficiency in technology nor any significant development in technology can be attributed as a factor of injury. The

authority provisionally holds that developments in technology have not been a relevant factor for the injury to the domestic industry.

With regard to the export performance of the domestic industry, the authority notes that with the decline in production, the export sales of the domestic industry also declined. The export performance of the domestic industry is also not considered as a very relevant factor having a direct bearing on the state of the domestic industry. It is further noted that the performance with respect to various economic indicators have been determined with respect to domestic sales only. Hence, the authority holds that material injury suffered by the domestic industry is not as a result of the export performance of the domestic industry.

As regards productivity, the authority notes that there is no information or reason to believe that productivity of the power looms has come down which could be the reason for injury to the domestic industry.

(f) Conclusion on causation

Significant increase in the volume of dumped imports has resulted in significant decline in production and closure of large number of power looms of the domestic industry. In the face of large-scale imports of dumped imports from subject country, the weavers were forced to close down or to switch over to weaving of other fabrics. The closure of large number of silk weaving power looms is attributable to the dumped imports of subject goods from subject country. As regards some of the arguments regarding switching over of power loom weavers to other kinds of fabric like viscose etc. the authority is of the view that the weavers were forced to switch over to other types of fabric due to non-availability of orders for silk fabric. The authority finds that the closure of power looms, consequential loss of employment to the weavers and other workers engaged in allied activities is as a direct consequence of the significant increase in dumped imports of subject goods. This has resulted in the loss of employment and financial losses to the domestic industry as many of these weavers had to sell off their looms for finding alternate source of livelihood. Consequently, growth in production, sales and capacity utilization of the domestic industry suffered as a result of increased imports of subject goods from subject country. Due to the high degree of dumping of Chinese imports, even the remaining power looms are on the verge of virtual extinction.

It is, therefore, provisionally concluded that the dumped imports originating in the subject country have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti Dumping rules and article 3.5 of the Agreement of Anti Dumping.

Indian Industry's interest.

49. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

50. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

G. CONCLUSIONS:

51. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

(a) The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury; and

(c) The injury has been caused by the dumped imports from subject country.

52. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of subject goods from subject country in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation.

53. Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on imports of Silk Fabric of weight 20-100 gms per meter falling under Custom Heading 5007 of Schedule 1 of Customs Tariff Act, originating in or exported from subject country pending final determination. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column 9 of the following table and the landed value of imports of subject goods falling under sub-headings of the schedule I of the Customs Tariff classification mentioned in column 2 of table below, originating in or exported from the country (s) mentioned below: -

S. No	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejing Cathaya Intl. Co. Ltd.**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
2	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejing Cathaya Intl. Co. Ltd.**			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.69	Metre	USD
			41-50					3.29	Metre	USD
			51-60					3.78	Metre	USD
			61-80					4.35	Metre	USD
			81-100					5.57	Metre	USD
3	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejing Cathya Intl. Co. Ltd.**			
			20-30					2.36	Metre	USD
			31-40					2.97	Metre	USD
			41-50					3.39	Metre	USD
			51-60					3.95	Metre	USD
			61-80					4.56	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
4	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejing Cathya Intl. Co. Ltd.**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.52	Metre	USD
			41-50					2.88	Metre	USD

			51-60					3.38	Metre	USD
			61-80					4.01	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
5	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejing Cathya Intl. Co. Ltd.**			
			20-30					2.18	Metre	USD
			31-40					2.81	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.96	Metre	USD
			61-80					4.33	Metre	USD
			81-100					5.35	Metre	USD
6	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejiang G & F Trading Co. Ltd.**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
7	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejiang G & F Trading Co. Ltd.**			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.69	Metre	USD
			41-50					3.18	Metre	USD
			51-60					3.66	Metre	USD
			61-80					4.27	Metre	USD
			81-100					5.34	Metre	USD
8	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejiang G & F Trading Co. Ltd.**			
			20-30					2.36	Metre	USD
			31-40					2.88	Metre	USD
			41-50					3.42	Metre	USD
			51-60					3.95	Metre	USD
			61-80					4.66	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD

9	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejiang G & F Trading Co. Ltd.**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.52	Metre	USD
			41-50					2.95	Metre	USD
			51-60					3.37	Metre	USD
			61-80					4.03	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
10	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Zhejiang G & F Trading Co. Ltd.**			
			20-30					2.30	Metre	USD
			31-40					2.81	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.59	Metre	USD
			81-100					5.59	Metre	USD
11	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
12	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.**			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.68	Metre	USD
			41-50					3.18	Metre	USD
			51-60					3.65	Metre	USD
			61-80					4.40	Metre	USD
			81-100					5.34	Metre	USD
13	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.**			
			20-30					2.33	Metre	USD
			31-40					2.95	Metre	USD

			41-50					3.22	Metre	USD
			51-60					3.93	Metre	USD
			61-80					4.74	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
14	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.52	Metre	USD
			41-50					2.95	Metre	USD
			51-60					3.38	Metre	USD
			61-80					4.03	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
15	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Chongquing Sunfeel Shizhu Silk Weaving Co. Ltd.**			
			20-30					2.27	Metre	USD
			31-40					2.89	Metre	USD
			41-50					3.43	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.60	Metre	USD
			81-100					5.74	Metre	USD
16	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Nanjing Textiles Imp. Exp. Corp. Ltd.**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
17	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Nanjing Textiles Imp. Exp. Corp. Ltd.**			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.60	Metre	USD
			41-50					3.18	Metre	USD
			51-60					3.55	Metre	USD
			61-80					4.23	Metre	USD
			81-100					5.34	Metre	USD

1280 GI/06-10

18	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Nanjing Textiles Imp. Exp. Corp. Ltd.**			
			20-30					2.30	Metre	USD
			31-40					2.77	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.66	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
19	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Nanjing Textiles Imp. Exp. Corp. Ltd.**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.44	Metre	USD
			41-50					2.87	Metre	USD
			51-60					3.29	Metre	USD
			61-80					4.03	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
20	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Nanjing Textiles Imp. Exp. Corp. Ltd.**			
			20-30					2.30	Metre	USD
			31-40					2.81	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.35	Metre	USD
			81-100					5.62	Metre	USD
21	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Sichuan Silk Fabrics Imp. & Exp. Group Co. Ltd.**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
22	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Sichuan Silk Fabrics Imp. & Exp. Group Co. Ltd.**			
			20-30					2.22	Metre	USD

			31-40					2.70	Metre	USD
			41-50					3.18	Metre	USD
			51-60					3.55	Metre	USD
			61-80					4.35	Metre	USD
			81-100					5.34	Metre	USD
23	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Sichuan Silk Fabrics Imp. & Exp. Group Co. Ltd.**			
			20-30					2.36	Metre	USD
			31-40					2.88	Metre	USD
			41-50					3.42	Metre	USD
			51-60					3.95	Metre	USD
			61-80					4.74	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
24	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Sichuan Silk Fabrics Imp. & Exp. Group Co. Ltd.**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.52	Metre	USD
			41-50					2.95	Metre	USD
			51-60					3.38	Metre	USD
			61-80					4.03	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
25	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Sichuan Silk Fabrics Imp. & Exp. Group Co. Ltd.**			
			20-30					2.30	Metre	USD
			31-40					2.81	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.60	Metre	USD
			81-100					5.62	Metre	USD
26	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Non-sampled exporters as per list given at the bottom of this table ***			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD
			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD

27	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Non-sampled exporters as per list given at the bottom of this table ***			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.67	Metre	USD
			41-50					3.29	Metre	USD
			51-60					3.66	Metre	USD
			61-80					4.34	Metre	USD
			81-100					5.57	Metre	USD
28	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Non-sampled exporters as per list given at the bottom of this table ***			
			20-30					2.35	Metre	USD
			31-40					2.95	Metre	USD
			41-50					3.39	Metre	USD
			51-60					3.92	Metre	USD
			61-80					4.57	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
29	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Non-sampled exporters as per list given at the bottom of this table ***			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.48	Metre	USD
			41-50					2.89	Metre	USD
			51-60					3.37	Metre	USD
			61-80					4.01	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
30	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**Non-sampled exporters as per list given at the bottom of this table***			
			20-30					2.19	Metre	USD
			31-40					2.85	Metre	USD
			41-50					3.40	Metre	USD
			51-60					3.89	Metre	USD
			61-80					4.37	Metre	USD
			81-100					5.39	Metre	USD
31	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Tasar in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**All other exporters**			
			20-30					2.48	Metre	USD
			31-40					3.06	Metre	USD
			41-50					3.63	Metre	USD

			51-60					4.21	Metre	USD
			61-80					5.07	Metre	USD
			81-100					6.15	Metre	USD
32	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Crepe in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**All other exporters**			
			20-30					2.22	Metre	USD
			31-40					2.70	Metre	USD
			41-50					3.18	Metre	USD
			51-60					3.66	Metre	USD
			61-80					4.38	Metre	USD
			81-100					5.34	Metre	USD
33	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Georgette / Chiffon in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**All other exporters**			
			20-30					2.36	Metre	USD
			31-40					2.89	Metre	USD
			41-50					3.42	Metre	USD
			51-60					3.95	Metre	USD
			61-80					4.74	Metre	USD
			81-100					5.80	Metre	USD
34	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Habutai in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**All other exporters**			
			20-30					2.09	Metre	USD
			31-40					2.52	Metre	USD
			41-50					2.95	Metre	USD
			51-60					3.38	Metre	USD
			61-80					4.03	Metre	USD
			81-100					4.89	Metre	USD
35	5007.1000, 5007.20, 5007.2010, 5007.2090, 5007.9000	Silk Fabric	Others in the following weight range of Grammes per Metre	China PR	Any Country	Any Producer	**All other exporters**			
			20-30					2.30	Metre	USD
			31-40					2.81	Metre	USD
			41-50					3.32	Metre	USD
			51-60					3.83	Metre	USD
			61-80					4.60	Metre	USD
			81-100					5.62	Metre	USD

*** List of Non- Sampled Exporters**

S.No.	Name of Exporter
1	Longchang Yinhua Silk Co.
2	Jiangsu Hongbao Group Im. & Ex Co. Ltd.
3	Chongqing Boshan Silk Co. Ltd.
4	Anhui Silk Co. Ltd.
5	Xinyuan Cocoon Silk Group Co. Ltd.
6	Huzhou Sentong Silk Weaving Co. Ltd.
7	Shanghai Silk Group Co. Ltd.
8	Zhejiang Mihuang Import & Export Co. Ltd.
9	Deyang Bailong Lifeng Silk Fabric Co. Ltd.
10	Jiangsu Soho International Group Corp.
11	Guangdong Silique International Group Gold Silk Co. Ltd.
12	Guangdong Silique International Group Wintex Corp. Ltd.
13	Chengdu Investment Imp. & Exp. Co. Ltd.
14	Chengdu Kilter Silk Trade Corporation Ltd.
15	Chongqing Wintus New Star Trade Development Ltd.
16	Guizhou Fortune Green Products Import & Export Co. Ltd.
17	Qindao Hirun Investment Group Co. Ltd.
18	Zhejiang Jiaxing Silk Imp. & Exp. Co. Ltd.
19	Sichuan New Rise (Langzhong) Silk Co. Ltd.
20	Sichuan New Rise Imp. & Exp. Co. Ltd.
21	Sichuan Yate Silk Import/Export Co. Ltd.
22	ChenFeng (Jiangsu) Clothing Co. Ltd.

H. FURTHER PROCEDURE:

54. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings: -

(i) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;

(ii) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.

(iii) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.

(iv) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.